



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032022-234268
CG-DL-E-17032022-234268

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2022/फाल्गुन 25, 1943

No. 141]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2022/PHALGUNA 25, 1943

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2022

फा. सं. बीएस/11/11/2021. - ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 12 और 13 के साथ पठित धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) संशोधन विनियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 में, अनुसूची -II में, स्कीम IX के पश्चात, निम्नलिखित स्कीम को अतःस्थापित जाएगा, अर्थात्: -

“स्कीम-X

विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार माल एवं वस्तुओं के लिए मानक चिह्न प्रयोग करने या आवेदन करने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूरी हेतु अनुरूपता निर्धारण स्कीम

- विषय क्षेत्र - (1) इस स्कीम के अधीन, विनिर्माता को प्रदान किया जा सकता है -

- (क) माल अथवा वस्तुओं, जिसे इसमें इसके आगे उत्पाद संदर्भित किया गया है, की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं से और सुसंगत मानक में दी गई विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं या उत्पाद के लिए विनिर्दिष्ट अनिवार्य अपेक्षाएं या दोनों अनुरूपता के निरूपण के लिए अनुज्ञप्ति;
- (ख) इसके अतिरिक्त, विनिर्माता, स्कीम-III में विनिर्दिष्ट प्ररूप और शुल्क के उपबंधों को छोड़कर, उक्त विनियम की स्कीम-III में अधिकथित उपबंधों के अनुसार मानक में दी गई विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप प्रबंध पद्धति की अनुरूपता के निरूपण का विकल्प चुन सकता है;
- (ग) उत्पाद सतत आधार पर निर्मित करना बांछनीय न हो तो अनुज्ञप्ति के स्थान पर अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है और ऐसे मामले में, विनिर्माता मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

(2) (क) इस स्कीम के पैरा 3 के अधीन दिए गए उपबंधों के अनुसार अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रदत्त और प्रचालित किया जाएगा;

(ख) इसके अतिरिक्त, यदि विनिर्माता प्रबंध पद्धति की अनुरूपता के निरूपण का विकल्प भी चुनता है, तो उक्त विनियम की स्कीम - III में अधिकथित उपबंध भी लागू होंगे।

2. परिभाषा- (1) "तकनीकी फाइल" से अनुरूपता के अनुपालन के निरूपण के लिए यथा आवश्यक या लागू सीमा तक प्रलेखीकरण अभिप्रेत है जिसमें डिजाइन, निर्माण और प्रचालन सम्मिलित हैं।

(2) "तीसरे पक्ष प्रयोगशाला" से ब्यूरो द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या ब्यूरो द्वारा सूचीबद्ध सरकारी प्रयोगशाला या ब्यूरो की कार्यकारी समिति द्वारा निर्णीत कोई अन्य प्रयोगशाला अभिप्रेत है और तीसरे पक्ष की प्रयोगशाला का विवरण ब्यूरो की वेबसाइट अर्थात् www.bis.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) "परीक्षण प्रमाण पत्र" से प्रमाणित निकाय द्वारा प्रदान किया गया वह दस्तावेज अभिप्रेत है जो यह प्रमाणित करता है कि निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए किसी उत्पाद के प्रतिनिधि नमूनों का पूर्ण परीक्षण किया गया है।

3. स्कीम की प्रक्रिया- (चयन) - (क) विनिर्माता यह पहचान करेगा कि -

- (i) उत्पाद और लागू निर्दिष्ट अपेक्षाएं जिसके लिए वह अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है;
- (ii) आवेदन इस स्कीम में उपाबद्ध प्रपत्र - I में किया जाएगा,
- (iii) उत्पाद से संबंधित निम्नलिखित विवरण को आवेदनपत्र के साथ उत्पाद की तकनीकी फाइल में प्रस्तुत किया जाएगा: -

- (1) यथा लागू किस्म या ग्रेड या प्रकार या साइज़ के विवरण के साथ उत्पाद विवरण;
- (2) उत्पाद के लिए लागू विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं;
- (3) उत्पाद की पहचान के लिए फोटोग्राफ;
- (4) विनिर्माता का नाम और पूरा पता;
- (5) उत्पाद की पहचान और पहचान के लिए विवरण जैसे ब्रांड का नाम, ट्रेड मार्क, निर्माण की तारीख, बैच या लॉट या क्रम संख्या आदि जैसा लागू हो;
- (6) ड्राइंग सहित उत्पाद के डिजाइन का विवरण, जैसा भी लागू हो;
- (7) संबद्ध रूप में निर्माण प्रक्रिया का विवरण;
- (8) यथा लागू कच्चे माल का विवरण;
- (9) विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के लिए उत्पाद के अनुपालन की रिपोर्ट जिसमें तीसरे पक्ष की प्रयोगशाला से या विनिर्माता की अपनी प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट, जैसा भी लागू हो, सम्मिलित हो सकती है;
- (10) यथा लागू निरीक्षण, परीक्षण स्कीम और सुविधाओं सहित आंतरिक गुणता आश्वासन उपायों का विवरण;

(11) यथा लागू उत्पाद के उपयोग, रख-रखाव, संस्थापन, सुरक्षित प्रचालन के लिए निर्देश; यथा तथा

(12) उत्पाद के लिए विनिर्दिष्ट कोई अन्य अपेक्षा।

(ख) विदेशी विनिर्माताओं के मामले में, विनिर्माता द्वारा भारत में स्थित अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि को इस स्कीम में उपाबद्ध प्रपत्र-II में नामित किया जाएगा।

(2) अवधारण - (क) आवेदन प्राप्त होने पर पंद्रह दिनों के भीतर ब्यूरो समीक्षा करेगा कि आवेदक ने आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं।

(ख) आवेदन पूरा होने पर, ब्यूरो तकनीकी फाइल का मूल्यांकन करके उत्पाद के विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप होने की जांच करेगा।

(ग) निर्धारण पैंतालीस कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित में से एक या सभी सम्मिलित हो सकते हैं: -

(i) ब्यूरो द्वारा तकनीकी फाइल का डेस्क मूल्यांकन;

(ii) यदि आवश्यक हो तो, विनिर्माण परिसर और किसी अन्य कार्यक्षेत्र का दौरा करके तकनीकी फाइल का निरीक्षण और मूल्यांकन;

(iii) यदि आवश्यक हो तो, विनिर्माण परिसर और किसी अन्य कार्यक्षेत्र का दौरा करके प्रबंध पद्धति अपेक्षाओं सहित तथा तकनीकी फाइल का निरीक्षण और मूल्यांकन,

(घ) आवेदक को मूल्यांकन के दौरान पाई गई किसी भी कमी या गैर-अनुरूपता के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(3) पुनर्विलोकन - मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा उसकी यथार्थता के लिए विनिर्दिष्ट गतिविधियों और विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं से समनुरूपता आधार पर की जाएगी।

(4) विनिश्चय - अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय समीक्षा के निष्कर्षों और उत्पाद की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं से अनुरूपता पर ब्यूरो के संतुष्ट होने पर लिया जाएगा।

(5) अनुप्रमाणन - ब्यूरो इसके कार्यक्षेत्र, अनुज्ञप्ति या प्रमाण पत्र संख्या, आवेदक का पता, अनुज्ञप्ति या प्रमाण पत्र की वैधता, विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का विवरण इंगित करते हुए इस स्कीम में संलग्न क्रमशः प्रपत्र- III और प्रपत्र - IV में अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाण पत्र प्रदान करेगा:

विदेशी विनिर्माताओं के मामले में अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि को सौ रुपए के नॉन- न्यायिकेतर स्टॉप पेपर पर निम्नलिखित विधिवत निष्पादित कर ब्यूरो को देना होगा :

(i) इस स्कीम के साथ संलग्न प्रपत्र-V के अनुसार अनुज्ञप्ति प्रदान करने का करार;

(ii) इस स्कीम के साथ संलग्न प्रपत्र - VI के अनुसार अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए क्षतिपूर्ति बंधपत्र

परन्तु यह और कि, अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण की तारीख को विदेशी विनिर्माता को भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत शाखा वाले किसी भी बैंक द्वारा जारी किए गए दस हजार अमेरिकी डॉलर की कार्यनिष्पादन की बैंक गारंटी देनी होगी या बैकल्पिक रूप से, विदेशी विनिर्माता द्वारा दस हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर दी गई कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी भी ब्यूरो द्वारा स्वीकार की जा सकती है।

(6) निगरानी - (क) ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारक प्रमाणित निकाय को पूर्व सूचना देकर या उसके बिना निगरानी निर्धारण कर सकता है।

(ख) निगरानी निर्धारण और बाजार निगरानी करने, जिसमें संस्थापन के स्थान पर दौरा करना सम्मिलित हो सकता है, का निर्णय संबद्ध जोखिम को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(ग) ब्यूरो खरीदार से फीडबैक ले सकता है।

(घ) निर्धारण के दौरान किसी प्रकार की भिन्नता के बारे में प्रमाणित निकाय को सूचित किया जाएगा।

4. शिकायतें - (1) ब्यूरो को कभी भी ब्यूरो को उत्पाद की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की गैर-अनुपालना या अपेक्षाओं के अनुपालन न करने पर शिकायत मिलने पर इसकी जांच की जाएगी और शिकायतकर्ता के स्तर पर जांच सामान्यतः प्रमाणित निकाय तक आगे की जा सकती है।

(2) यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं तो, -

(क) प्रमाणित निकाय को निवारण की सलाह देने के लिए कदम उठाए जाएंगे;

(ख) अनुज्ञप्ति निलंबित की जा सकती है, और प्रमाणित निकाय को सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी जा सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई की संतोषजनक जांच के बाद निलंबन रद्द किया जा सकता है;

(ग) यदि प्रमाणित निकाय इस स्कीम के पैरा 12 के उप-पैरा (1) में दी गई किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है।

5. शुल्क - प्रत्येक उत्पाद या उत्पाद के समूह के लिए शुल्क ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

6. लेबलिंग और मुहरांकन अपेक्षाएं- (1) उपाबंध -I में यथा विनिर्दिष्ट, अनुज्ञप्ति के मामलों में प्रत्येक उत्पाद या पैकेज या दोनों को मानक चिह्न से मुहरांकित किया जाएगा।

(2) मानक चिह्न में अनुज्ञप्ति संख्या और अपेक्षाओं में निर्दिष्ट किसी भी अन्य संदर्भ को दृश्यमान तरीके से दिखाया जाएगा और अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) यदि मानक चिह्न उत्पाद या पैकेजिंग पर भौतिक रूप से नहीं लगाया जा सकता हो तो उसे परीक्षण प्रमाण पत्र पर दिया जाएगा।

(4) विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार उत्पाद के विवरण, केवल किस्म तक सीमित न हो, में लॉट या बैच या क्रम संख्या, निर्माण की तिथि या सप्ताह, ब्रांड का नाम, ट्रेड मार्क शामिल हो, विनिर्माता का पूरा पता उत्पाद या पैकेजिंग पर या दोनों उत्पाद पर लगे लेबल पर अंकित हों।

(5) अनुरूपता प्रमाणपत्र के लिए, उत्पाद या पैकेज या दोनों पर अनुरूपता संख्या प्रमाणपत्र मुहरांकित किया जाएगा। अनुरूपता प्रमाणपत्र की प्रति उत्पाद के साथ प्रदान की जाएगी।

(6) किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए, ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त लेबलिंग और मुहरांकन अपेक्षाओं के अनुसार अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न के उपयोग के लिए संबद्ध उत्पाद दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

7. अनुज्ञप्ति और अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तें - (1) अनुज्ञप्ति की शर्तें इन विनियमों के विनियम 6 और इस स्कीम के प्रपत्र-2 के उपाबंध के अनुसार होंगी।

(2) अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तें इन विनियमों के विनियम 14 और इस स्कीम के प्रपत्र - 3 के उपाबंध के अनुसार होंगी।

(3) ब्यूरो अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र के लिए कोई उत्पाद विशिष्ट शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकता है।

8. अनुज्ञप्ति और अनुरूपता प्रमाण पत्र की वैधता - (1) अनुज्ञप्ति आरंभ में कम से कम तीन वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

(2) अनुज्ञप्ति को कम से कम आगामी 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा।

(3) अनुरूपता प्रमाणपत्र केवल उत्पाद के किसी विशिष्ट उत्पाद प्रोटोटाइप या उत्पाद के लॉट या बैच पर ही लागू होगा और सतत आधार पर समान उत्पाद का उत्पादन अधिकृत नहीं होगा।

(4) अनुज्ञप्ति की वैधता का विवरण और अनुरूपता प्रमाणपत्र ब्यूरो की वेबसाइट अर्थात् www.bis.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।

9. अनुज्ञप्ति का नवीकरण - (1) ब्यूरो को अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन इसकी समाप्ति के दो माह पूर्व इस स्कीम में संलग्न प्रपत्र - VII में करना होगा।

(2) ब्यूरो इस स्कीम के साथ संलग्न प्रपत्र - VIII में अनुज्ञप्ति का नवीकरण करेगा।

(3) अनुज्ञप्ति का नवीकरण उक्त विनियम के विनियम 8 के अनुसार किया जाएगा।

(4) इस स्कीम के पैरा 3 के उप-पैरा (2) के खंड (घ) के अधीन उपबंधों को भी ब्यूरो अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए ले सकता है।

10. अनुज्ञप्ति के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन - (1) अनुज्ञप्ति के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के लिए आवेदन ब्यूरो को इस स्कीम के साथ संलग्न प्रपत्र-X में किया जाएगा।

(2) अनुज्ञप्ति के कार्यक्षेत्र में विस्तार के लिए आवेदन सम्मिलित किए जाने वाले उत्पाद किस्म की तकनीकी फाइल सहित और इस स्कीम के पैरा 5 के अधीन निर्धारित शुल्क के साथ करना होगा।

(3) ब्यूरो इस स्कीम के पैरा 3 के उप-पैरा (2) के अनुसार मूल्यांकन करेगा।

(4) ब्यूरो इस स्कीम के साथ संलग्न फॉर्म-X में अनुज्ञप्ति के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करेगा।

11. अनुज्ञप्ति का निलंबन (1) यदि किसी भी समय, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, आग, भूकंप, प्रबंधन द्वारा घोषित तालाबंदी, सक्षम न्यायालय या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रचालन को बंद करने के कारण या उत्पाद के अनुपालन या अनुरूपता को बनाए रखने में कठिनाई होती है, तो विनिर्माता को ब्यूरो को सूचित करते हुए स्वयं अनुज्ञप्ति का प्रयोग निलंबित करेगा।

(2) जैसे ही कमियों को दूर किया जाता है, निलंबन का निरसन किया जा सकता है और इसकी सूचना तत्काल लेकिन निरसन की तारीख से सात दिन पूर्व ब्यूरो को दी जाएगी।

(3) विनिर्माता को अपनी किसी भी प्रक्रिया गतिविधियों को नए परिसर में स्थानांतरित करने पर ब्यूरो को सूचित करते हुए अनुज्ञप्ति के उपयोग को स्वयं निलंबित करना होगा।

(4) निलंबन का निरसन ब्यूरो द्वारा ऐसे साक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात् किया जा सकता है, जो इस तक सीमित नहीं है, अर्थात्: -

(क) नए परिसर में प्रचालन प्रारंभ करने की तैयारी के बारे में पुष्टि करना;

(ख) पुराने परिसर का सत्यापन;

(ग) नए परिसर में प्रक्रिया गतिविधियों का सत्यापन।

(5) (क) ब्यूरो किसी भी समय अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकता है, यदि उसके पास गैर-अनुपालन या उत्पाद की संबद्ध विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की गैर-अनुरूपता के पर्याप्त साक्ष्य है और इस प्रकार के साक्ष्य सीमित नहीं हैं, लेकिन इसमें निम्नलिखित एक या अधिक सम्मिलित हो सकते हैं, अर्थात्:-

(i) गैर-अनुरूपता उत्पादों पर अनुज्ञप्ति और मानक चिह्न का उपयोग;

(ii) तकनीकी फाइल के कार्यान्वयन में पाया गया प्रमुख विचलन;

(iii) प्रक्रिया गतिविधियों की इकाई को बिना सूचना के एक नए पते पर स्थानांतरित करना;

(iv) ब्यूरो द्वारा समय-समय पर जारी किसी भी निर्देश का पालन न करना।

(ख) विनिर्माता, जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबाधीन है, उसे अनुज्ञप्ति का उपयोग करना या मानक चिह्न लगाना, मानक चिह्न लगे उत्पाद को भेजना बंद करना होगा और इस संबंध में ब्यूरो को तत्काल पुष्टि भेजने के उपरांत की गई सुधारात्मक कार्रवाई की पुष्टि करनी होगी।

(ग) ब्यूरो सुधारात्मक कार्यों के सत्यापन के लिए कार्यस्थल का निर्धारण दौरा कर सकता है और निम्नलिखित से स्वयं संतुष्ट होने के बाद विनिर्माता को निलंबन रद्द करने की अनुमति दे सकता है कि उसने -

(i) आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की है; तथा

(ii) उत्पाद की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की अनुरूपता के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किए हैं।

12. अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र रद्द करना या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को अस्वीकृत करना- (1) ब्यूरो अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को अस्वीकृत कर सकता है, यदि, -

(क) विनिर्माता ने अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र का दुरुपयोग किया है;

(ख) प्रमाणन के संबंध में भ्रामक घोषणा की है या अभिलेख के मिथ्याकरण एवं अनुचित व्यापार व्यवहार में सम्मिलित हो;

(ग) अनुज्ञप्ति का निलंबन एक वर्ष से अधिक हो;

(घ) विनिर्माता ने अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र की कुछ शर्तों का अतिक्रमण किया है;

(ङ) प्रबंधन पद्धति प्रमाणन के लिए उक्त विनियम की स्कीम III के उपबंधों के अधीन पुनः प्रमाणीकरण को रद्द या अस्वीकार करना, यदि लागू हो

(2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण की अस्वीकृति या रद्दीकरण से पूर्व, ब्यूरो विनिर्माता को ई-मेल या संचार के किसी अन्य उपयुक्त माध्यम द्वारा कम से कम एक सप्ताह की एक लिखित सूचना देगा, जिसमें वह इसके अस्वीकरण के कारण और व्यक्तिगत सुनवाई, यदि मांगी गई हो, के साथ पुनःप्रमाणन के अस्वीकरण या रद्दीकरण के प्रयोजन को सूचित करेगा।

(3) यदि अनुज्ञप्ति निलंबन के अधीन नहीं है, तो नोटिस में विनिर्माता को मानक चिह्न का उपयोग बंद करने के अनुदेश होंगे।

(4) सूचना जारी करने की तारीख से इक्कीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के मामले में, ब्यूरो अनुज्ञप्ति को रद्द या अनुरूपता प्रमाण पत्र का पुनःप्रमाणन अस्वीकृत या रद्द कर सकता है।

(5) यदि कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, तो ब्यूरो इस बारे में विनिश्चय लेने से पहले प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रख सकता है, संगठन या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को, जैसा भी मामला हो, मांग करने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दे सकता है।

(6) इस स्कीम के उप-पैरा (4) और (5) के तहत पुनः प्रमाणीकरण को रद्द करने या अस्वीकार करने के लिए ब्यूरो द्वारा लिए गए निर्णय को आधार सहित संगठन को ई-मेल या लिखित संचार के किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(7) जब विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को वापस ले लिया जाता है और कोई भी अन्य अपेक्षाओं से अधिक्रमण नहीं किया जाता है, तो उसके संबंध में दी गई किसी भी अनुज्ञप्ति को इस तरह की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को वापस लेने की तारीख से समाप्त समझा जाएगा और संगठन द्वारा अनुज्ञप्ति ब्यूरो को तत्काल वापिस दी जाएगी।


उपाबंध - I


(पैरा 6 के उप-पैरा (1) को देखें)

मानक मुहर के प्रयोग के दिशा-निर्देश

मानक मुहर के मोनोग्राम में चित्रात्मक निरूपण हो, जो की ठीक वैसा लिया गया हो जैसा की नीचे आंकड़ों में दर्शाया गया है। इसके फोटोग्राफिक लघुकरण एवं विस्तार की अनुमति है।

- (i) 'मानक मुहर' नीचे दिए गए विवरण अनुसार एक या एक से अधिक रंग में निरूपित की जा सकती है। मल्टी रंग में प्रयुक्त की जाने वाली मानक मुहर हेतु रंग स्कीम नीचे दिए अनुसार प्रयुक्त होगी;
- (ii) अनुज्ञप्तिधारी वस्तु या पैकेजिंग या दोनों, जैसा भी मामला हो, मानक मुहर इस तरह से लगाएं, जो आसानी से दिखे;
- (iii) मानक मुहर वैध, अमिट और ऐसी हो जो हटाई न जा सके तथा मुहरांकन का स्थायित्व संबद्ध भारतीय मानक के उपबंधों, जहां लागू हो, के अनुसार हो;
- (iv) शब्दों का एरियल फॉन्ट साइज़ 6 से कम नहीं होना चाहिए;
- (v) उत्पाद को स्थूल निरूपण के स्थान पर मानक मुहर को इलेक्ट्रॉनिक रूप में (ई-लेबलिंग) निरूपित करने वाला समेकित पारदर्शी स्क्रीन वाला उपकरण प्रदर्शित किया जाए।





For multicolour Standard Mark the colour scheme shall be - Red, Blue and Black.

- For printing purposes, colours shall be "Oriental Blue" and "Monopol Red" as per IS 1222:1992, 'Ink, duplicating for twin cylinder rotary machines (third revision)'
- For sign board purposes, colours shall be "French Blue" (No.166) Red" (No.537) as per IS 5:1994 "Colours for ready mixed paints and enamels (fourth revision)".

For single colour Standard Mark, there is no restriction in the choice of the colour.

The font style and size used is Arial-85 pt.

मल्टीकलर मानक चिह्न हेतु रंग योजना- लाल, नीली और काली होगी।

क) मुद्रण प्रयोजनार्थ हेतु, आईएस 1222:1992, ट्विन सिलेंडर रोटरी मशीन हेतु स्याही डुप्लिकेटिंग (तीसरे पुनरीक्षण) के अनुसार रंग ओरिएन्टल नीला एवं मोनोपोल लाल रहेगा।

ख) साइन बोर्ड प्रयोजनार्थ हेतु, आईएस 5:1994, तैयार मिश्रित पेंट एवं इनेमल हेतु रंग (चौथे पुनरीक्षण) के अनुसार रंग फ्रेंच नीला (स.166) एवं लाल (स.537) रहेगा।

सिंगल रंग मानक चिह्न हेतु, रंगों के चयन में कोई प्रतिबंध नहीं है।

ऐरियल 85 भाग फॉन्ट स्टाइल और साइज का प्रयोग किया जाता है।

प्ररूप-I

पैरा 3 के उप- पैरा (i) के खंड (क) के उप-खंड (ii) को देखें

भारतीय मानक ब्यूरो

उत्पाद प्रमाणन स्कीम

मानक मुहर या अनुरूपता प्रमाणपत्र हेतु उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र

फर्म का पूरा नाम

पता					
कार्यालय	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>				टेली
					फैक्स
गांव/शहर	जिला	राज्य	देश	पिनकोड	ई-मेल

पता					
फैक्ट्री	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>				टेली
					फैक्स
गांव/शहर	जिला	राज्य	देश	पिनकोड	ई-मेल

	नाम	पदनाम		नाम	पदनाम	
	1			1		
शीर्ष प्रबंधन वर्ग का विवरण	2		तकनीकी प्रबंधन का विवरण	2		
	3			3		

	4			4		
		नाम		टेली	ई-मेल	
संपर्क व्यक्ति						

पत्राचार का पता	कार्यालय	ईकाई का पैमाना	वृहद	सार्वजनिक
	फैक्ट्री		एमएसएमई (उल्लेख करें, कि सूक्ष्म, लघु या मध्यम) है	क्षेत्र प्राइवेट

इस आवेदन पत्र का प्रयोग निम्नलिखित पर मानक चिह्न या अनुरूपता प्रमाणपत्र के प्रयोग के लिए बीआईएस से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए किया जाएगा:

उत्पाद

विनिर्दिष्ट

अपेक्षाएं किस्में

(श्रेणी/प्रकार/वर्ग इत्यादि)

उत्पादन की इकाई	वर्तमान संस्थापित क्षमता	मात्रा	राशि (₹)

शुल्क का विवरण	राशि (₹)	रसीद/लेनदेन का विवरण तिथि सहित

फर्म की मुहर		हस्ताक्षर नाम पदनाम आवेदन की तारीख	
फर्म का पैन या व्यवसाय अनुज्ञप्ति संख्या		डीआईएन सं.(निदेशक के मामले में) पैन नं. (अन्य मामलों के लिए)	

महत्वपूर्ण: आवेदन पर फर्म के सीईओ द्वारा, या उसकी अनुपस्थिति में प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

निम्नलिखित दस्तावेजों की उपलब्धता का संकेत दे :

आवेदन पत्र के साथ ये दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा है

क्रम सं.	दस्तावेज	हाँ/नहीं/लागू नहीं
1	फर्म की स्थापना	
2	कारखाने के पते का प्रमाण	
3	विधिमान्य एमएसएमई प्रमाण पत्र, यदि लागू हो	
4	प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र, यदि आवेदन फर्म के सीईओ के अतिरिक्त किसी और के हस्ताक्षर हो	
5	तकनीकी फाइल	
6	ब्रांड का विवरण	
7	प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि, यदि लागू हो	
8	घोषणाएं, जैसे लागू हो	

स्पष्टीकरण: इस प्रपत्र के प्रयोजन के लिए, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का वही अर्थ होगा, जो उनके सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 के 27) में है, जैसा की समय समय पर संशोधित किया गया है।

क्या ब्यूरो से पद्धति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं : हाँ या नहीं

अगर हाँ, तो नीचे उल्लिखित अतिरिक्त दस्तावेज जमा करें

क्रम सं.	दस्तावेज	हाँ/नहीं/लागू नहीं
1	विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का उल्लेख करें, जैसे लागू हो	
2	प्रबंधन प्रतिनिधि एवं सहकारी दस्तावेज सहित शीर्ष प्रबंधन संघटन और उनके पदनाम, जैसे लागू हो	

3	गुणता मैनुअल, जैसे लागू हो	
---	----------------------------	--

घोषणा:

इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। इस प्रपत्र में दी गई किसी भी मिथ्या जानकारी के लिए मैं/हम उत्तरदायी होंगे और यदि कोई मिथ्या जानकारी दी जाती है तो आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि अनुज्ञप्ति में दी गई सूचना बाद में मिथ्या पाई जाती है तो, अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र को रद्द किया जा सकता है।

प्रमाणन अधिकारी से प्राप्त सूचना या ब्यूरो से प्राप्त कथन या प्राप्त की गई जानकारी या दिए गए साक्ष्य या निरीक्षण को भारतीय मानक ब्यूरो के अधिनियम, 2016 के खंड 27 के उप-खंड (5) के उपबंधों के अनुसार गोपनीय रखा जाएगा।

टिप्पण: अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट <https://www.bis.gov.in> देख सकते हैं।

प्ररूप - II

(पैरा 3 के उप-पैरा (1) का खंड (ख) देखें)

निर्माता द्वारा नामांकन के लिए प्ररूप

सेवा में,

महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो,

9, बहादुर शाह जफर मार्ग,

नई दिल्ली-110002.

विषय: अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि का नामांकन (समझौते के खंड 3.1 के अनुसार)

प्रिय महोदय / महोदय,

समझौते के खंड 3 की अपेक्षा के निबंधनानुसार, हम, मैसर्स , निर्माता और भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समझौते के हस्ताक्षरकर्ता, एतद्वारा श्री/सुश्री , पुत्र/पुत्री , निवासी----- भारत, समझौते के खंड 3 के संदर्भ में हमारे अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि के रूप में को नामित और नियुक्त किये जाते हैं।

श्री/कु....., समझौते के नियमों और शर्तों और ब्यूरो के उपबंधों और भारतीय मानक अधिनियम 2016 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम के अनुपालन के लिए समझौते के तहत हमारी ओर से जिम्मेदार व्यक्ति होंगे। फॉर्म में उसकी स्वीकृति, सहमति और समझौते के नियमों और शर्तों की पुष्टि के प्रतीक में उसके हस्ताक्षर भी होते हैं। कृपया सूचित करें कि भारत के अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में नामांकन इस समझौते के प्रयोजन के लिए तब तक जारी रहेगा जब तक कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाता है।

भवदीय,

अधिकृत के हस्ताक्षर

भारतीय प्रतिनिधि:

नाम:

पदनाम:

संपर्क विवरण:

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

संपर्क विवरण:

मो :

मो.:

ईमेल:

ईमेल:

तारीख:

सील:

प्ररूप- III

(पैरा 3 के उप-पैरा (5) के खंड (क) को देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो

अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा इसे प्रदान की गई शक्ति के आधार पर, ब्यूरो इसके द्वारा प्रदान करता है

मैं.

(इसके बाद 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा जाता है) यह अनुज्ञप्ति इस अनुसूची के पहले स्तंभ में निर्धारित उत्पाद के लिए, उक्त अनुसूची के दूसरे स्तंभ में निर्धारित विषयक्षेत्र, समय-समय पर संशोधित या उक्त अनुसूची के दूसरे स्तंभ में विनिर्दिष्ट अपेक्षा (अपेक्षाएं)।

के संबंध में या उसके अनुसार निर्मित है / के अनुरूप है।

2. इस अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई शर्तों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की ओर से दायित्वों का वहन करता है। यह अनुज्ञप्ति अनुसूची में उल्लिखित नाम, कारखाने के पते और अवधि के लिए वैध होगा और इस स्कीम में निर्धारित अनुसार नवीनीकृत किया जा सकता है।

अनुसूची

(अनुज्ञप्ति संख्या.....)

नाम

कारखाने का पता

दि..... से दि-----तक वैधता

उत्पाद	अनुज्ञप्ति का विषयक्षेत्र
(1)	(2)

--	--

यह वर्ष..... माह---- दिनको हस्ताक्षरित, मुहरांकित एवम दिनांकित किया गया ।

कृते भारतीय मानक ब्यूरो
नामित प्राधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

अनुबंध

अनुज्ञप्ति की शर्तें

- (1) मानक चिह्न का डिजाइन अनुज्ञप्ति में दिए गए प्रतिरूप के समान होगा।
- (2) जब तक ब्यूरो द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक फोटोग्राफिक इज़ाफ़ा या मानक चिह्न में कमी का भी उपयोग किया जा सकता है।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी सामान, वस्तु या प्रणाली की विशिष्ट आवश्यकताओं की अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके लिये मानक चिह्न उपयोग किया या लगाया जाता है।
- (4) अनुज्ञप्तिधारी उन वस्तुओं, वस्तुओं या प्रणाली के संबंध में मानक चिह्न का उपयोग नहीं करेगा जो अनुरूप नहीं हैं या अनुज्ञप्ति के विषयक्षेत्र से बाहर हैं।
- (5) निलंबन के दौरान या अनुज्ञप्ति की समाप्ति के बाद किसी भी सामान, वस्तु या प्रणाली के संबंध में मानक चिह्न का उपयोग नहीं किया जायेगा या लगाया नहीं जाएगा।
- (6) अनुज्ञप्तिधारी अनुरूपता निर्धारण स्कीम के उपबंधों का पालन करेगा जिसके अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाता है, जिसमें लेबलिंग और मार्किंग आवश्यकताएं सम्मिलित हैं।
- (7) अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा।
- (8) अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो को उसके परिसर या किसी अन्य स्थल पर निरीक्षण या लेखा परीक्षा करने के संबंध में सभी सहायता प्रदान करेगा और ऐसी सहायता में ऐसे नमूनों को प्रमाणन अधिकारी द्वारा चिह्नित और सील करके विनिर्दिष्ट कार्यालय या प्रयोगशाला को निरीक्षण, लेखापरीक्षा या निर्धारण की तारीख से सात दिन के भीतर भेजना सम्मिलित होगा।
- (9) अनुज्ञप्तिधारी, जब भी ब्यूरो द्वारा अपेक्षित हो, मानक चिह्न के उत्पादन और उपयोग या लागू करने से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा।
- (10) यदि माल या वस्तुओं पर मानक चिह्न का उपयोग करने या लागू करने के लिए अनुज्ञप्ति दिया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उन वितरकों, डीलरों या खुदरा विक्रेताओं की सूची प्रदान करेगा, जिन्हें मानक चिह्न वाले सामान या वस्तु की आपूर्ति की जाती है।

- (11) यदि मानक चिह्न वाले उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत स्थापित की जाती है, तो अनुज्ञप्तिधारी उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करेगा ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति को समाप्त किया जा सके।
- (12) ब्यूरो को अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम एक माह का नोटिस देकर अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त में संशोधन करने का अधिकार होगा।

प्ररूप- IV

(पैरा 3 के उप-पैरा (5) के खंड (क) देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो

अनुरूपता प्रमाण पत्र

अनुरूपता प्रमाणपत्र संख्या.

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा इसे प्रदत्त शक्ति के आधार पर, ब्यूरो प्रदान करता है।
मैं.

(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक' कहा गया है) इस अनुसूची के पहले स्तंभ में उपवर्णित उत्पाद के लिए अनुरूपता का यह प्रमाणपत्र, उक्त अनुसूची के दूसरे स्तंभ में उपवर्णित विषयक्षेत्र के संबंध में या जो उक्त अनुसूची के दूसरे स्तंभ में विनिर्दिष्ट आवश्यकता (आवश्यकताओं) के अनुसार/अनुरूप है या विनिर्मित किया गया है

2. अनुरूपता का यह प्रमाणपत्र, इसके साथ संलग्न उपाबंध में दी गई शर्तों के अनुसार, अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक की ओर से दायित्वों का वहन करता है। अनुरूपता का यह प्रमाण पत्र अनुसूची में उल्लिखित नाम, कारखाने के पते के लिए मान्य होगा।

अनुसूची

(अनुरूपता प्रमाणपत्र संख्या)

नाम

कारखाने का पता

उत्पाद	अनुरूपता प्रमाणपत्र का विस्तारक्षेत्र
(1)	(2)

--	--

यह वर्ष..... माह..... के दिन..... को हस्ताक्षरित , मुहरबंद और दिनांकित

कृते भारतीय मानक ब्यूरो
नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

उपाबंध

अनुरूपता प्रमाणपत्र की शर्तें

- (1) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के लिए माल, वस्तु या प्रणाली की अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके संबंध में अनुरूपता का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
- (2) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक माल, वस्तुओं या प्रणाली के संबंध में अनुरूपता के प्रमाणपत्र का उपयोग नहीं करेंगे जो गैर-अनुरूप हैं या अनुरूपता के प्रमाणपत्र के विषयक्षेत्र से बाहर हैं।
- (3) अनुरूपता प्रमाणपत्र को रद्द करने पर किसी भी सामान, वस्तु या प्रणाली के संबंध में अनुरूपता प्रमाणपत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (4) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक अनुरूपता निर्धारण स्कीम के उपाबंधों का अनुपालन करेगा जिसके अधीन अनुरूपता का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, जिसमें लेबल लगाने और चिन्हांकित करने की आवश्यकताएं सम्मिलित हैं।
- (5) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अभिलेखों का रखरखाव करेगा।
- (6) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक ब्यूरो को उसके परिसर या किसी अन्य स्थल पर निरीक्षण या लेखा परीक्षा करने के संबंध में सभी सहायता प्रदान करेगा और ऐसी सहायता में ऐसे नमूने को नामनिर्दिष्ट कार्यालय या प्रयोगशाला को निरीक्षण, लेखा परीक्षा या मूल्यांकन की तारीख से सात दिनों के भीतर भेजना सम्मिलित होगा जिन्हें प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा चिन्हांकित और मुहरबंद कर दिया गया है।
- (7) यदि अनुरूपता प्रमाणपत्र माल या वस्तुओं के संबंध में दिया जाता है, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को उन परेषितियों, वितरकों, डीलरों या खुदरा विक्रेताओं की सूची प्रदान करनी होगी जिन्हें अनुरूपता प्रमाणपत्र के अधीन माल या वस्तु की आपूर्ति की जाती है।
- (8) अनुरूपता प्रमाणपत्र ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अन्य विनिर्माता को अंतरित नहीं किया जाएगा।
- (9) यदि अनुरूपता प्रमाणपत्र के अधीन आने वाले किसी भी माल, वस्तु या प्रणाली की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत स्थापित की जाती है, तो अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति को समाप्त करने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।
- (10) अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक को कम से कम एक मास का नोटिस देकर ब्यूरो को अनुरूपता प्रमाणपत्र की किसी भी शर्त में संशोधन करने का अधिकार होगा।

प्ररूप V

(पैरा 3 के उप पैरा (5) का खंड (i) देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए करार (विदेशी विनिर्माताओं के उपयोग के लिए) (रु. 100.00 के गैर-न्यायिक स्टॉम्प पत्र पर पब्लिक नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित)

यह करार, नई दिल्ली में आज वर्ष.....के.....माह के..... दिन, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 द्वारा स्थापित निगम निकाय जिसका मुख्यालय मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'ब्यूरो' कहा गया है और इसके अंतर्गत प्रशासक, समनुदेशित, अभिकर्ता या प्रतिनिधि सम्मिलित है) का एक पक्ष,

और

मैसर्स.....एक विदेशी विनिर्माता, जिसका कार्यालय.....में है और इसके विधिक रूप से नियुक्त अभिकर्ता नाम श्री/श्रीमती का संपर्क/शाखा कार्यालय/कार्यालय भारत में..... में स्थित है (जिसके इसमें इसके पश्चात् "विनिर्माता" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी और या वारिस भी हैं) श्री/श्रीमती.....(इसके प्रबंध निदेशक/स्वत्वधारी/भागीदारी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, यथास्थिति) के द्वारा, के बीच किया गया है;

ब्यूरो की स्थापना भा मा ब्यूरो अधिनियम, 2016 द्वारा मानकीकरण, अनुरूपता निर्धारण, गुणता प्रमाणन और वस्तुओं, प्रक्रियाओं, पद्धतियों और सेवाओं के गुणता आश्वासन तथा उससे आनुषंगिक जुड़े क्रियाकलापों के सुसंगत विकास के लिए की गई है।

और भा मा ब्यूरो अधिनियम, 2016 में यथा उपबंधित प्रकार्यों के अतिरिक्त और विशेषतः विदेशी विनिर्माताओं को निर्धारण अनुरूपता देना है, भा. मा. ब्यूरो वस्तुओं और प्रक्रियाओं हेतु विदेशी निर्माताओं को मानक चिन्ह उपयोग की अनुज्ञप्ति देने का अधिकार रखता है;

और उक्त अधिनियम अधीन अपने ऐसे उत्पादों पर विदेशी विनिर्माताओं द्वारा भा. मा. ब्यूरो मानक चिन्ह के उपयोग हेतु भारतीय मानक ब्यूरो, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है जो वस्तुएं संबद्ध भारतीय मानकों के अनुरूप यह अनुज्ञप्ति निर्माता द्वारा समय-समय पर ब्यूरो द्वारा अधिकथित मानदंडों का अनुपालन करने की शर्त पर प्रदान किया जाएगा;

और विदेशी निर्माता ने उक्त अधिनियम के अधीन ब्यूरो से अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन किया है और ब्यूरो ने विनिर्माता की क्षमता के बारे में समाधान होने के पश्चात् तथा उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों व विनियमों में अधिकथित अपेक्षाओं और अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों को पूरा करने के पश्चात् उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर विनिर्माता को मानक चिन्ह का उपयोग करने को अनुज्ञप्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

अब इसके पक्षकार निम्नानुसार सहमत हैं :

1. परिभाषाएं

इस करार में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- 1.1 अनुज्ञप्ति से अभिप्रेत है भा. मा. ब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 13 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति जो मानक के अनुरूप किसी माल, वस्तु प्रसंस्करण प्रक्रिया या, पद्धति या सेवा के संबंध में विनिर्दिष्ट मानक चिन्ह का उपयोग करता है।
- 1.2 "विनिर्माता" से किसी माल या वस्तु का डिजाइन तैयार करने और उसके विनिर्माण करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।
- 1.3 "मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला" से उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन भा.मा. ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अभिप्रेत है।
- 1.4 "उत्पाद" से ब्यूरो के मानक चिन्ह से चिन्हित किए जाने वाले उत्पाद से अभिप्रेत है।

1.5 "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति से है जो भारत में अवस्थित हो, इस करार के निबंधन और शर्तों और उक्त अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गये नियमों और विनियमों के अनुपालन के प्रयोजन के लिए विनिर्माता द्वारा नामनिर्दिष्ट और विधिक रूप में नियुक्त हो तथा इस करार के प्रयोजनों के लिए विनिर्माता के मामलों पर अंतिम नियंत्रण रखता हो।

2. फीस

2.1 विनिर्माता को अनुज्ञप्ति देने वाले ब्यूरो और इस करार के उपबंधों द्वारा और विभिन्न बाध्यताओं और उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए सहमत होने वाले विनिर्माता और उक्त अधिनियम के अधीन अपने भाग का अनुपालन करने वाले ब्यूरो के विचार में जैसा इस स्कीम के अधीन समय-समय पर लागू हो विनिर्माता ब्यूरो को आवश्यक शुल्क का संदाय करेगा, जैसे अग्रिम न्यूनतम चिहांकन फीस, आवेदन नवीकरण फीस, वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस और वास्तविक चिह्नित उत्पादन पर परिकलित फीस और उक्त विनियम के अधीन यथा अधिकथित कोई अन्य फीस।

2.2 विनिर्माता सभी व्यय वहन करने के लिए भी सहमत है जिसमें उसके प्रमाणन अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा विनिर्माण सुविधा, परीक्षण प्रयोगशाला या किसी अन्य परिसर में निरीक्षण या मूल्यांकन के संबंध में व्यय किए गए दिनों की लागत (तैनाती स्थल से प्रस्थान के समय से वहां लौटने तक) सम्मिलित है और परीक्षण फीस यथास्थिति, जो ब्यूरो द्वारा विनिश्चित की जाए।

3. नामनिर्देशन

3.1 विनिर्माता भारतीय विधियों के अधीन सभी आवश्यक अनुमति या अनुमोदन, यदि अपेक्षित हो, और ऐसी नियुक्ति के निबंधन और शर्तों लिखित में तय करने के पश्चात् भारत में अवस्थित व्यक्ति को अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर नामनिर्देशित और नियुक्त करेगा, जिसके नामनिर्देशित करने की सूचना उसे ब्यूरो को सम्यक रूप से लिखित में देनी होगी।

3.2 प्राधिकृत प्रतिनिधि भारतीय कार्यालय का प्रभारी या ज्येष्ठ अधिकारी या भारत में विनिर्माता का विधिक के रूप में नियुक्त अभिकर्ता होगा।

3.3 विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के नामनिर्देशित वाला प्ररूप इस करार के निष्पादन के समय या इस करार के जारी रहने के दौरान नई नियुक्ति के समय दिया जाएगा जिसमें ऐसे नियुक्त किए गए प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी हो जो कि इस करार के निबंधन और शर्तों के प्रति उसकी सहमति और पुष्टि का उपलक्ष्य में होगा और करार के विभिन्न उपबंध/इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए बने नियमों और विनियमों के अधीन अनुपालन के लिए उसकी सम्मति का साक्ष्य होगा।

3.4 नियुक्त किया गया प्राधिकृत प्रतिनिधि इस करार के प्रयोजनों के लिए भारत में विनिर्माता के मामलों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति समझा जाएगा और इस प्रकार इस करार के निबंधनों और शर्तों के उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संपूर्ण सम्यक अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा तब तक बना रहेगा जब तक कि करार के निबंधनों के अनुसार उनके स्थान पर किसी अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं किया जाता है।

3.5 प्राधिकृत प्रतिनिधि विनिर्माता के लिए तथा उसकी ओर से इस करार, के निबंधनों और शर्तों उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों व विनियमों के पालन या अनुपालन के लिए बाध्य होगा तथा इस करार के निबंधनों व शर्तों, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के सभी कृत्यों और लोप तथा अतिक्रमणों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी और दायित्वाधीन होगा।

3.6 विनिर्माता को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस करार के जारी रहने के दौरान उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि किसी कारणवश किसी समय प्रतिनिधित्व से न चूके और आगे यह भी सुनिश्चित करेगा कि पहले से नामनिर्देशित प्राधिकृत प्रतिनिधि का प्रतिस्थापित या अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि को ब्यूरो के अभिलेख में फिर से नामनिर्देशित किया गया है और इस करार के अधीन पदधारी प्राधिकृत प्रतिनिधि को उसके बाध्यताओं या दायित्वों से पहले मुक्त किया है।

3.7 यह पक्षकारों के बीच सहमत और समझा हुआ है कि यह खंड इस करार का मूल है और इस खंड के किसी अतिक्रमण से ब्यूरो को इस करार को समाप्त या अवनिर्धारित करने का अधिकार होगा, चाहे औपचारिक रूप से समाप्त या निर्धारित किया जाए या नहीं, और उसके अनुज्ञप्ति को रद्दकरण करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

3.8 इस पर सहमति है कि इस प्रकार का अवनिर्धारण उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों या इस करार के अधीन ब्यूरो को प्रदत्त अन्य अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना होगी।

3.9 यदि ब्यूरो को यह पता चलता है या उसकी जानकारी में आता है कि इस करार के जारी रहने के दौरान, विनिर्माता ने इस खंड की शर्तों का पालन नहीं किया है तो ब्यूरो इस करार के जारी रहने के दौरान, प्राधिकृत प्रतिनिधि की मृत्यु की स्थिति के सिवाए, करार को तत्काल समाप्त करने का पात्र होगा, विनिर्माता को ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि की मृत्यु के इक्कीस दिन के भीतर नए प्रतिनिधि नामित करने का अधिकार होगा, जिसके ना हो सकने पर खंड 3.6 के उपबंध यथोपस्थित परिवर्तन सहित लागू किए जाएंगे।

3.10 यह सहमति है कि यदि विनिर्माता द्वारा नामनिर्देशित प्राधिकृत प्रतिनिधि विनिर्माता के साथ अपनी नातेदारी या संबंध को तोड़ देता है और विनिर्माता द्वारा इसमें उपरोक्त खंड 3.6 के निबंधनों के अनुसार पहले प्राधिकृत प्रतिनिधि को मुक्त या पदच्युत करने से यथा समय पहले उसके स्थान पर नया प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाता है तो इस करार के अवधारण या समाप्ति के होते हुए भी पहले प्राधिकृत प्रतिनिधि इस करार के निबंधनों और शर्तों या उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के सभी कृत्यों या लोप या उल्लंघन के लिए उसके त्यागपत्र या पदच्युत होने तक उत्तरदायी और दायित्वाधीन होगा।

3.11 करार में उल्लिखित शब्द "विनिर्माता" और "अनुज्ञसिधारी" का अर्थ होगा और इसमें 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' सम्मिलित होगा, जब तक कि संदर्भ से असंगत न हो।

4. निबंधनों और शर्तों की स्वीकार्यता

4.1 अनुज्ञसिधारी और उसका प्राधिकृत अभिकर्ता उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार अनुज्ञसि प्रदान करने के निबंधनों और शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।

5. अनुज्ञसिधारी के अधिकार और दायित्व

5.1 विनिर्माता को प्रदान किए गए मानक चिन्ह का उपयोग करने की अनुज्ञसि केवल (उत्पाद का उल्लेख करें) के संबंध में(मानक का उल्लेख करें) के अनुसार होगा।

5.2 अनुज्ञसिधारी के अधिकार और उत्तरदायित्व उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के और समय-समय पर ब्यूरो द्वारा सूचित के अनुरूप होंगे और अनुज्ञसिधारी को इसका अनुपालन करना होगा।

6. अनुज्ञसि/उसके नवीकरण की विधिमान्यता अवधि

6.1 ब्यूरो का मानक चिन्ह उपयोग करने की अनुज्ञसि, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित अवधि तक विधिमान्य होगी और उसके पश्चात् स्वतः समाप्त हो जाएगी, जब तक कि ब्यूरो द्वारा विशिष्ट रूप में लिखित में उसे आगे की अवधि के लिए बढ़ाया न गया हो।

6.2 यदि अनुज्ञसिधारी अनुज्ञसि की अवधि के दौरान या ब्यूरो द्वारा निर्धारित उसके समाप्त होने की तारीख की अवधि के भीतर अनुज्ञसि के नवीकरण के लिए आवेदन करता है तो ब्यूरो उस अवधि के लिए नवीकरण पर विचार कर सकता है, जिसे वह उपयुक्त समझता हो।

6.3 नवीकरण के लिए लंबित ऐसे आवेदन के दौरान अनुज्ञसिधारी ऐसे अनुज्ञसि को रखने संबंधी दावा नहीं करेगा और न ही वह अनुज्ञसि समाप्त होने पर वस्तु या प्रक्रिया पर चिह्न लगाने का अधिकारी होगा, जब तक कि ब्यूरो द्वारा लिखित में अनुज्ञसि आगे की अवधि के लिए नवीकृत न की गई हो।

7. अनुज्ञसि रद्द करना

7.1 ब्यूरो उक्त विनियम के विनियम 11 के अनुसार अनुज्ञसि रद्द कर सकता है।

8. अनुज्ञसि निलंबित करना

8.1 ब्यूरो उक्त विनियम के विनियम 10 के अनुसार अनुज्ञसि को निलंबित कर सकता है।

9. करार समाप्त करना

9.1 अनुज्ञप्तिधारी इस करार के किसी निबंधन और शर्त का अतिक्रमण या उसे भंग करता है, चाहे वह चूक या उल्लंघन द्वारा किया गया कृत्य हो।

9.2 अनुज्ञप्तिधारी भी करार को समाप्त कर सकता है। वह रजिस्ट्रीकृत डाक या दस्ती तौर पर 30 दिन का लिखित नोटिस भेजकर ऐसा कर सकता है, जो कि प्रमुख केन्द्रीय विदेशी विनिर्माता प्रमाणन विभाग भारतीय मानक ब्यूरो, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002 को सम्बोधित होगा।

9.3 करार के अवनिर्धारण या समाप्त करने पर विनिर्माता को उसके द्वारा विनिर्मित या चिह्नित किसी भी उत्पाद पर मानक चिन्ह का प्रयोग बंद करना होगा और इस प्रकार विनिर्मित अथवा चिह्नित उत्पाद का उल्लेख करते हुए ब्यूरो को ब्यौरा देना होगा। विनिर्माता को करार या अनुज्ञप्ति समाप्त होने से पहले ऐसा करना होगा तथा ब्यूरो द्वारा उसे दिए गए सभी निदेशों का पालन करना होगा।

9.4 विनिर्माता को ब्यूरो को देय सभी देयताएं, वित्तीय या अन्यथा चुकानी होंगी और ब्यूरो के सभी पृष्ठांकन सहित मूल अनुज्ञप्ति दस्तावेज लौटाना होगा।

10. क्षतिपूर्ति

10.1 विनिर्माता सहमत है और पूरी तरह समझता है कि ब्यूरो की अनुरूपता निर्धारण स्कीम जिसके अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, उसमें उत्पाद से संबद्ध सुसंगत मानक से अनुरूपता का उत्तरदायित्व पूरी तरह से विनिर्माता का है।

10.2 विनिर्माता ब्यूरो को उसके उत्पादों के विनिर्माण और/या संबद्ध सुसंगत मानक से गैर अनुरूपता के कारण किसी व्यक्ति या फर्म या कम्पनी या संगम या उपभोक्ता द्वारा जो ब्यूरो के विरुद्ध किए जा सकते हैं सभी दावों या क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है।

10.3 विनिर्माता ब्यूरो को स्वीकार्य भाषा में ऐसा क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत और बाध्य होगा जिसमें किसी तीसरे पक्षकार के ऐसे दावों की क्षतिपूर्ति के लिए ब्यूरो की हानि नहीं होने देगा जो दावा विनिर्माता द्वारा विनिर्मित उस उत्पाद की अनुरूपता से संबंधित हो जिस पर संबद्ध सुसंगत मानक के अनुसार मानक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो।

10.4 विनिर्माता उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों तथा अनुज्ञप्ति के निबंधनों शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए बैंक प्रत्याभूति देने के लिए बाध्य होगा जो ब्यूरो के पक्ष में यूएसडी 10,000.00 मूल्य की हो (यूएस डॉलर दस हजार केवल)।

10.5 इसे किसी प्रकार भंग किए जाने पर ब्यूरो को बैंक प्रत्याभूति को प्रयोग करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा और इस संबंध में उसका निर्णय विनिर्माता को मान्य और बाध्य होगा।

11. करार की अवधि

11.1 यह करार अनुज्ञप्ति प्रदत्त किए जाने की तारीख से उस अवधि तक प्रवृत्त रहेगा जबतक के लिए इसे प्रदत्त या नवीकृत किया जाएगा और इस करार के निबंधन के अनुसार किसी पक्षकार द्वारा इसे वापिस या समाप्त या रद्द नहीं कर दिया जाता।

12 अधिकारिता

12.1 इस करार को लेकर पक्षकारों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, जिसमें करार के खंडों की विषय स्पष्टता या निर्वचन या अर्थ या संबद्ध अधिकार या पक्षों के बाध्यताओं या दायित्वों संबंधी विवाद सम्मिलित है, अधिकारिता क्षेत्र केवल दिल्ली का न्यायालय होगा जो ऐसे दावों या अधिकारों या विवादों पर विचार, न्याय और समाधान करेगा।

12.2 इस करार के प्रयोजनों के लिए विनिर्माता का पता वही होगा जो कि भारत में यहां ऊपर दिया गया है और ब्यूरो का वही होगा जो कि उपर्युक्त उल्लिखित है।

12.3 उपरोक्त नाम पर भेजे गए और पहुँचाए किए गए सभी नोटिस या पत्रों को संबद्ध पक्षों को जारी या पहुँचा हुआ समझा जाएगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने गवाहों की उपस्थिति में उनके हस्ताक्षर कर दिए हैं:

भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्माता

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में

साक्षी:

1.

2.

प्ररूप - VI

(पैरा 3 के उप-पैरा (5) का खंड (ii) देखें)

क्षतिपूर्ति बंध पत्र

(रुपये 100.00/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर और नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित)

यह क्षतिपूर्ति बंध पत्र मैसर्स द्वारा नई दिल्ली में के दिन को निष्पादित किया जाता है। कंपनी या फर्म जिसका रजिस्ट्रीकृत या कॉर्पोरेट कार्यालय और (भारत) पर एक संपर्क या शाखा कार्यालय है। या भारत में विधिक रूप से नियुक्त अभिकर्ता, अर्थात् श्री / सुश्री, जिसका कार्यालय पर है, जिसका प्रतिनिधित्व श्रीमान / सुश्री पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री के माध्यम से किया जाता है, के इसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि (जिसे इसमें इसके पश्चात 'प्रमाणित निकाय' कहा गया है), भारतीय मानक ब्यूरो के पक्ष में यह बंध पत्र लागू है, जिसका मुख्यालय मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 में है (ब्यूरो कहा गया है):

प्रमाणित निकाय जो भारत के बाहर (उस उत्पाद का नाम जिसके लिए अनुज्ञप्ति या अनुरूपता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है) के विनिर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है, जो मानक चिह्न की अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए या पूर्वोक्त उत्पाद पर अनुरूपता के प्रमाण पत्र के लिए ब्यूरो से संपर्क करता है, जैसा कि (मानक) के अनुरूप है;

और बीआईएस की अनुरूपता निर्धारण योजना के अनुसार, जिसके अधीन प्रमाणित निकाय को अनुज्ञप्ति या अनुरूपता का प्रमाण पत्र दिया जाता है, ब्यूरो के संतुष्ट होने पर कि प्रमाणित निकाय द्वारा विनिर्मित उत्पाद विशेष मानक के अनुरूप है, केवल उपयोग करने की अनुज्ञप्ति मानक के अनुरूप ऐसे उत्पाद पर उपयोग करने के लिए मानक चिन्ह या अनुरूपता का प्रमाण पत्र देता है;

और उस उत्पाद के संबंध में सुसंगत मानक के अनुरूपता का उत्तरदायित्व जिसके संबंध में अनुज्ञप्ति या अनुरूपता का प्रमाण पत्र दिया गया है, पूरी तरह से प्रमाणित निकाय का उत्तरदायित्व होगा, और गैर-अनुरूपता के मामले में, अनुज्ञप्ति या अनुरूपता का प्रमाण पत्र ब्यूरो द्वारा रद्द किया जा सकता है;

और प्रमाणित निकाय विनिर्मित उत्पाद की गैर-अनुरूपता के संबंध में, जिसके संबंध में मानक चिह्न या अनुरूपता के प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है, ब्यूरो को किसी भी तीसरे पक्ष के दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति और हानि रहित रखने के लिए वर्तमान क्षतिपूर्ति बंध-पत्र क्रियान्वित करता है;

अब इसलिए यह विलेख साक्षी है और प्रमाणित निकाय द्वारा ब्यूरो के हितों की रक्षा करने और ब्यूरो को उत्पाद की गैर-अनुरूपता या मानक चिन्ह के उपयोग या अनुरूपता प्रमाण-पत्र के संबंध में ब्यूरो के विरुद्ध किसी भी दावे या मांग या किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के विरुद्ध उन्हें हानिरहित रखने के लिए सहमति व्यक्त करता है और इस संबंध में ब्यूरो को क्षतिपूर्ति, ब्याज या उसकी लागत सहित क्षतिपूर्ति करता है।

यह विलेख एक साक्षी के रूप में, नई दिल्ली में पूर्वोक्त प्रमाणित निकाय द्वारा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से साक्षियों की उपस्थिति में निष्पादित किया गया है।

प्रमाणित निकाय:

साक्षी:

- 1.
- 2.

प्ररूप - VII

(पैरा 9 का उप-पैरा (1) देखें)

अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन

प्रमुख शाखा कार्यालय

भारतीय मानक ब्यूरो

प्रिय महोदय / महोदया,

मैं/हम, (कारखाना और कार्यालय का पूरा पता) पर व्यापार कर रहे हैं और अनुज्ञप्ति संख्या के नवीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं जोकि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और

विनियमों के अंतर्गत प्रदत्त है जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है से.....तक की अवधि के लिए, जिसके निबंधन और शर्तों मेरे/हमारे पूर्ववर्ती आवेदन और पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति, और/या ब्यूरो द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अनुरूप हैं।

2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन प्रभावित माल के उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

(यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें)

(रिपोर्ट करने की अवधि:से.....तक)

(i) माल(ओं) का कुल उत्पादन

(ii) अनुज्ञप्ति के अधीन आने वाला उत्पादन

क) मात्रा.....

ख) मूल्य (₹).....

(iii) यदि कोई उत्पादन अनुज्ञप्ति के अधीन सम्मिलित नहीं है,

और ऐसे गैर-कवरेज के लिए कारण

(iv) सभी खरीददारों के नाम और पते

(v) कोई अन्य जानकारी

3. मैं/हम इसके साथ रसीद सं.....तारीख..... निम्नलिखित मदों के लिए देय रकम..... इसके साथ संलग्न कर रहा हूँ/ कर रहे हैं:

i) नवीनीकरण आवेदन फीस ₹

ii) मुहरांकन फीस ₹ प्रति वर्षदर

iii) पूर्ववर्ती बकाया/अन्य फीस (बीआईएस नोटिस के अनुसार), यदि कोई हो ₹

iv) कुल रकम

हस्ताक्षर

तारीख

नाम

पद

फर्म की मुहर

कृते और की ओर से

घोषणा:

इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण और सत्य है। इस प्ररूप में दी गई कोई भी भ्रामक जानकारी होने पर मैं/हम उत्तरदायी होंगे और यदि गलत जानकारी दी गई है तो आवेदन को

अस्वीकार किया जा सकता है। यदि बाद में गलत पाई जाने वाली जानकारी के आधार पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जाता है, तो अनुज्ञप्ति रद्दकरण के लिए उत्तरदायी होगी।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 27 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार दिए गए किसी भी विवरण या दी गई जानकारी या दिए गए किसी साक्ष्य या किए गए निरीक्षण से प्राप्त जानकारी को ब्यूरो द्वारा गोपनीय माना जाएगा।

टिप्पण: अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट <https://www.bis.gov.in/> पर देख सकते हैं।

प्ररूप - VIII

(पैरा 9 का उप-पैरा (2) देखें)

अनुज्ञप्ति संख्याका संलग्नक।

अनुज्ञप्ति संख्या	कारखाने के पते के साथ अनुज्ञप्तिधारी का नाम	उत्पाद का नाम	विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं

पृष्ठांकन सं. तारीख

अनुज्ञप्ति का विस्तार-क्षेत्र..... तारीख तक विधिमान्य है।

अब नवीकरण के परिणाम स्वरूप मूल अनुसूची की अनुज्ञप्ति/पृष्ठांकन सं..... में दी गई विधिमान्यता को तारीख..... से तक बढ़ाया गया है।

अनुज्ञप्ति के अन्य निबंधन व शर्तें यथावत हैं।

पदाभिहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(पदाभिहित प्राधिकारी का नाम)

प्ररूप - IX

(पैरा 10 का उप-पैरा (1) देखें)

अनुज्ञप्ति के विस्तार-क्षेत्र में परिवर्तन के लिए आवेदन

प्रमुख शाखा कार्यालय

भारतीय मानक ब्यूरो

प्रिय महोदय / महोदया,

मैं/हम,

.....(पूरा कारखाना और कार्यालय का पता) पर व्यापार कर रहे हैं। उक्त के अधीन ब्यूरो द्वारा प्रदान की गईअनुज्ञप्ति संख्या के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विस्तारक्षेत्र में परिवर्तन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, 2016 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, के लिए आवेदन कर रहे हैं।

2. वांछित विषय-क्षेत्र में परिवर्तन:

उत्पाद	विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं	विस्तार-क्षेत्र में विस्तार या कमी	तकनीकी फाइल संलग्न की गई (हां या नहीं)

3. मैंने/हमने उपरोक्त आवेदन के लिए तारीख रसीद सं..... के माध्यम से ₹..... का संदाय कर दिया है।

हस्ताक्षर

तारीख

पद नाम

फर्म की मुहर

कृते और की ओर से

टिप्पण: यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें

घोषणा:

इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण और सत्य है। इस प्ररूप में दी गई कोई भी भ्रामक जानकारी होने पर मैं/हम उत्तरदायी होंगे और यदि गलत जानकारी दी गई है तो आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। यदि सूचना के आधार पर अनुज्ञप्ति का विषय-क्षेत्र परिवर्तित कर दिया जाता है जो बाद में गलत पाया जाता है, तो मैं/हम अनुज्ञप्ति रद्दकरण के लिए उत्तरदायी होंगे।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 27 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार दिए गए किसी भी विवरण या जानकारी या किसी साक्ष्य या किए गए निरीक्षण से प्राप्त जानकारी को ब्यूरो द्वारा गोपनीय समझा जाएगा।

टिप्पण: अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट <https://www.bis.gov.in/> पर जा सकते हैं।

प्ररूप - X

(पैरा 10 का उप-पैरा (4) देखें)

अनुज्ञप्ति संख्या का संलग्नक

अनुज्ञप्ति संख्या	कारखाने के पते के साथ अनुज्ञप्तिधारी का नाम	उत्पाद का नाम	विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं

पृष्ठांकन सं. तारीख

अनुज्ञप्ति के विस्तार-क्षेत्र में निम्नलिखित परिवर्तन को ब्यूरो द्वारा से अनुमोदित कर दिया गया है

उपरोक्त परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, अनुसूची के स्तंभ (1) में निर्धारित उत्पाद के लिए अनुज्ञप्ति की अनुसूची की सारणी के स्तंभ (2) में अनुज्ञप्ति का संशोधित विस्तार-क्षेत्र निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तें यथावत हैं।

पदाभिहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(पदाभिहित प्राधिकारी का नाम)"

स्मिता जी. नायर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./694/2021-22]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 4 में फाईल संख्या बीएस / 11/11/2018 दिनांक 04 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् फाईल संख्या बीएस / 11/11/2018 दिनांक 12 अक्टूबर, 2018, फाईल संख्या बीएस/ 11/11/2020 दिनांक 21 फरवरी, 2020, फाईल संख्या बीएस/11/11/2021 दिनांक 4 फरवरी, 2021, फाईल संख्या बीएस/ 11/11/2021 दिनांक 5 फरवरी, 2021, फाईल संख्या बीएस/11/11/2021 दिनांक 4 जून, 2021, फाईल संख्या बीएस/11/11/2021 दिनांक 5 अगस्त, 2021, फाईल संख्या बीएस/11/11/2021 दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 और फाईल संख्या बीएस/11/11/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2022

F. No. BS/11/11/2021.—In exercise of the powers conferred by section 39 read with sections 12 and 13 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau, with previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Amendment Regulations, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, in Schedule – II, after Scheme IX, the following scheme shall be inserted, namely:-

“Scheme - X

Conformity assessment scheme for grant of licence to use or apply Standard Mark for goods and articles as per the specified requirements

1. Scope.— (1) Under this Scheme, the manufacturer may be granted -

(a) licence for demonstration of conformity of goods or articles, hereinafter referred to as the products, to the specified requirements and the specified requirements may be given in the relevant standard or essential requirements specified for the product or both;

(b) in addition, the manufacturer may opt for demonstration of conformity of management system to the specified requirements given in standard as per the provisions laid down in Scheme - III of the said regulation except the provisions of forms and fee specified in Scheme – III;

(c) the Bureau may grant certificate of conformity instead of licence in case the product is not desired to be manufactured on a continuous basis and in such a case, the manufacturer shall not be authorised to use the Standard mark.

- (2) (a) The grant of licence or certificate of conformity and its operation shall be done in accordance with the provisions provided under paragraph 3 of this scheme;

(b) in addition, if the manufacturer also opts for demonstration of conformity of management system, the provisions laid down in Scheme - III of the said regulation shall also apply.

2. Definition.— (1) “Technical file” means documentation covering design, manufacture and operation of products to the extent applicable and necessary for demonstration of compliance of conformity.

(2) “Third party laboratory” means a laboratory established, maintained or recognised by the Bureau or Government laboratories empanelled by the Bureau or any other laboratory decided by the Executive Committee of the Bureau and the details of third party laboratory will be made available on the website of the Bureau, i.e. www.bis.gov.in.

(3) “Test certificate” means a document furnished by the certified body to substantiate that the representative specimens of a product were fully tested for compliance with the specified requirements.

3. Processes of the Scheme.— (1) Selection.— (a) The manufacturer shall identify,—

(i) the product and the applicable specified requirements against which it intends to obtain the licence or certificate of conformity;

(ii) the application shall be submitted in Form – I annexed to this Scheme,

(iii) the following details pertaining to the product shall be submitted in a technical file for the product along with the application:—

- (1) product description with details of variety or grades or type or size as applicable;
- (2) Specified requirements applicable for the product;
- (3) photograph (s) for identification of the product;
- (4) manufacturer’s name and complete address;
- (5) detail for identification and traceability of product like brand name, trade mark, date of manufacturing, batch or lot or serial number etc. as applicable;
- (6) detail of design of the product including drawing(s) as applicable;
- (7) description of manufacturing process as relevant;
- (8) raw material details as applicable;
- (9) report of compliance of the product to the specified requirement which may include test report from third party laboratory or from manufacturer’s own laboratory as applicable;
- (10) details of in-house quality assurance measures including inspection, test plan and facilities; as applicable;
- (11) instructions for use, maintenance, installation, safe operation of the product; as applicable; and
- (12) any other requirement specified for the product.

(b) in case of foreign manufacturers, an authorised Indian representative based in India shall be nominated by the manufacturer in Form-II annexed to this Scheme.

(2) Determination.— (a) the Bureau on receipt of an application will examine within fifteen days that the applicant has submitted all required documents along with the application.

(b) when the application is complete, the Bureau shall examine the conformity of the product to the specified requirement by evaluating the technical file.

(c) The evaluation will be completed within forty-five working days and may include one or combination of the following:—

(i) desk evaluation of technical file by the Bureau;

(ii) inspection and evaluation of technical file through visit to the manufacturing premises and any other site, if required;

(iii) inspection and evaluation of technical file and including management system requirements through visit to the manufacturing premises and any other site, if required.

(d) any inadequacy or non-conformity observed during the evaluation shall be communicated in writing to the applicant.

(3) Review.— The evaluation report shall be reviewed on the basis of the activities specified for their correctness and conformance to the specified requirements.

(4) Decision.— The decision on grant of licence or certificate of conformity shall be taken when the Bureau is satisfied based on the findings of the review and conformity of the product to the specified requirement.

(5) Attestation.- The Bureau shall grant the licence or certificate of conformity in Form – III and Form – IV respectively annexed to this scheme indicating its scope, licence or certificate number, address of the applicant, validity of licence or certificate, details of the specified requirements:

Provided that in case of foreign manufacturer, the authorised Indian representative of the firm shall duly execute following on a non-judicial stamp paper of rupees one hundred to be submitted to the Bureau:

- (i) an agreement for grant of licence as per Form – V annexed to this scheme;
- (ii) an indemnity bond for grant of licence or certificate of conformity as per Form – VI annexed to this scheme:

Provided further, that a performance bank guarantee for US Dollars ten thousand issued by any bank having Reserve Bank of India approved branch in India shall be submitted by the foreign manufacturer or alternatively, performance bank guarantee submitted by the foreign manufacturer in equivalent Indian rupees for US Dollars ten thousand as on the date of grant or renewal of licence may also be accepted by the Bureau.

(6) Surveillance.- (a) The Bureau may carry out surveillance assessment of the certified body holding the licence either with or without prior intimation.

(b) the need for carrying out the surveillance assessment and market surveillance which may include visit at the site of installation shall be decided keeping in view the risk associated.

(c) the Bureau may obtain feedback from buyers.

(d) any variation observed during such assessment shall be communicated to the certified body.

4. Complaints.- (1) Whenever any complaint regarding non-compliance of requirements or non-conformity of the product to the specified requirement is received by the Bureau, the same shall be investigated and investigation at complainant end may generally precede the investigation at the certified body.

(2) In case the complaint is established, -

(a) steps shall be taken to advise the certified body to arrange redressal;

(b) licence may be suspended, and certified body may be advised to take corrective actions and suspension may be revoked after satisfactory verification of corrective action;

(c) in case it is established that the certified body has indulged in any of the activity leading to establishment of any of the conditions given in sub-paragraph (1) of paragraph 12 of this Scheme, licence or certificate of conformity may be cancelled.

5. Fee.- The fee for each product or group of products shall be notified by the Bureau.

6. Labelling and marking requirements.- (1) Each product or the package or both shall be marked with the Standard Mark in case of licence, as specified in Annexure – I.

(2) The Standard Mark shall carry the licence number and any other reference to the specified requirement in a visible manner and shall be as specified in the licence.

(3) If the Standard Mark cannot be applied on the product or the packaging physically, it shall be given on the test certificate.

(4) The product details as per the specified requirement which may include, but it is not limited to, variety, lot or batch or serial number, date or week of manufacturing, brand name, trade mark, complete address of manufacturer shall be marked on either the product or the packaging or both contained in a label attached to the product.

(5) For certificate of conformity, the certificate of conformity number shall be marked on the product or package or both. The copy of certificate of conformity shall be provided with the product.

(6) For any specific product, additional labelling and marking requirements including usage of Standard Mark under a licence may be specified by the Bureau in the relevant product specific guidelines which shall be complied.

7. Conditions of licence and certificate of conformity.— (1) The conditions of licence shall be as provided in regulation 6 of these regulations and annexure to Form – II of this scheme.

(2) The conditions of certificate of conformity shall be as provided in regulation 14 of these regulations and annexure to Form – III of this scheme.

(3) The Bureau may specify any product specific conditions for the licence or certificate of conformity.

8. Validity of licence and certificate of conformity.— (1) The licence shall be granted initially for not less than three years and upto six years.

(2) The licence may be renewed for a further period of not less than three years and upto six years.

(3) The certificate of conformity shall be applicable to a specific product prototype or lot or batch of product only and will not authorize production of similar product on continuous basis.

(4) The details about validity of licence and certificate of conformity shall be made available on the website of the Bureau, i.e. www.bis.gov.in.

9. Renewal of licence.— (1) An application for renewal of licence shall be made before two months of its expiration to the Bureau in Form – VII annexed to this Scheme.

(2) The Bureau shall renew the licence in Form –VIII annexed to this Scheme.

(3) The renewal of licence shall be done in accordance with regulation 8 of the said regulation.

(4) The provisions under clause (d) of sub-paragraph (2) of paragraph 3 of this scheme may also be undertaken by the Bureau for renewal of licence.

10. Change in scope of licence.— (1) An application for change in scope of licence shall be made to the Bureau in Form – X annexed to this Scheme.

(2) For extension in scope of licence, application shall be made along with the submission of technical file of the product variety to be added and the fee prescribed under paragraph 5 of this Scheme.

(3) The Bureau shall carry out evaluation as mentioned in sub-paragraph (2) of paragraph 3 of this Scheme.

(4) The Bureau shall change the scope of licence in Form –X annexed to this Scheme.

11. Suspension of licence.— (1) The manufacturer on its own shall suspend the use of the licence under intimation to the Bureau if, at any time, there is difficulty in maintaining the compliance or conformity of the product or due to natural calamities such as flood, fire, earthquake, lock out declared by the management, closure of operations directed by a competent court or statutory authority.

(2) The revocation of suspension may be done as soon as the deficiencies are removed and information shall be sent to the Bureau immediately but not later than seven days from the date of revocation.

(3) The manufacturer on its own shall suspend the use of the licence under intimation to the Bureau on relocation of any of its processing activities to new premises.

(4) The revocation of suspension may be done by the Bureau after obtaining such evidence, not limited to, namely:-

(a) confirming about readiness to commence operations at new premises;

(b) verification of the old premises;

(c) verification of processing activities at new premises.

(5) (a) The Bureau may suspend the licence at any time, if it has sufficient evidence of non-compliance or non-conformity of the product to the relevant specified requirements and such evidence is not limited to, but may include one or more of the following, namely:-

(i) use of licence and standard mark on the non-conforming products;

(ii) major deviation observed in the implementation of technical file;

- (iii) relocation of processing activities unit to a new address without intimation;
- (iv) non-compliance of any instructions issued by the Bureau from time to time

(b) The manufacturer, whose licence has been put under suspension, shall stop using licence or applying Standard Mark, dispatching of the product bearing the Standard Mark and shall send confirmation in this regard to the Bureau immediately followed by confirmation of having taken corrective actions.

(c) The Bureau may arrange on-site assessment visit to verify the corrective actions and may allow revocation of suspension after satisfying itself that the manufacturer—

- (i) has taken necessary corrective actions; and
- (ii) has provided sufficient evidence of conformity of the product to the specified requirements.

12. Cancellation of licence or certificate of conformity or refusal of renewal of licence.— (1) The Bureau may cancel licence or certificate of conformity or refuse renewal of licence, if, —

- (a) the manufacturer has indulged in misuse of the licence or certificate of conformity;
- (b) has made false declaration in relation to the certification or indulged in falsification of records or unfair trade practices;
- (c) suspension of licence exceed more than one year;
- (d) the manufacturer has violated any conditions of the licence or certificate of conformity;
- (e) cancellation or refusal of re-certification under the provisions of Scheme - III of the said regulation for management system certification, if applicable.

(2) Before cancellation or refusal of renewal of licence, the Bureau shall give the manufacturer a written notice of not less than twenty one days through e-mail or any other suitable means of communication, informing its intention of cancellation or refusal of re-certification, along with the grounds, with provisions for submitting his written explanation and for personal hearing, if sought.

(3) If the licence is not under suspension, the notice shall contain instructions directing manufacturer to stop use of the standard mark.

(4) In case of non-receipt of a written explanation within a period of twenty-one days from the date of issue of the notice, the Bureau may cancel or refuse to re-certify the licence or cancel certificate of conformity.

(5) If an explanation is submitted, the Bureau may take into consideration the explanation so submitted and give a personal hearing, if sought, to the organisation or his authorised representative, as the case may be, before taking a decision in this regard.

(6) The decision taken by the Bureau for cancellation or refusal of re-certification under sub-paragraphs (4) and (5) of this scheme shall be communicated to the organisation through e-mail or any other suitable means of written communication along with the grounds.

(7) When specified requirements are withdrawn and not superseded by any other requirements, any licence granted in respect thereof shall be deemed to have been cancelled from the date of withdrawal of such specified requirements and licence shall be surrendered to the Bureau by the organisation forthwith.

Annexure – I


(see sub-paragraph (1) of paragraph 6)

Guidelines for use of Standard Mark


The monogram of the 'Standard Mark' consists of the pictorial representation, drawn in the exact style as indicated in the figures below. Its photographic reduction and enlargement is permitted.

- (i) The 'Standard Mark' can be displayed in single colour or multi-colour as per the details given below. The colour scheme for the Standard Mark to be used in multi-colour shall be used as indicated below;

- (ii) The licensee shall display the 'Standard Mark' on the article or the packaging or both, as the case may be, in a manner so as to be easily visible;
- (iii) The Standard Mark shall be legible, indelible and non-removable and the durability of marking shall be as per the provisions of the relevant Indian Standard, wherever applicable;
- (iv) The display of words shall not be less than arial font size 6;
- (v) Any device with an integrated display screen may present the Standard Mark electronically (e-labelling) in lieu of a physical presentation on the product.



L - XXXXXXXXXXXXX



For multicolour Standard Mark the colour scheme shall be - Red, Blue and Black.

- a) For printing purposes, colours shall be "Oriental Blue" and "Monopol Red" as per IS 1222:1992. 'Ink, duplicating for twin cylinder rotary machines (third revision)'
- b) For sign board purposes, colours shall be "French Blue" (No.166) Red" (No.537) as per IS 5:1994 "Colours for ready mixed paints and enamels (fourth revision)".

For single colour Standard Mark, there is no restriction in the choice of the colour.

The font style and size used is Arial-85 pt.

Form – I

(see sub-clause (ii) clause (a) of sub-paragraph (1) of paragraph 3)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Product Certification Scheme

Application for Licence to use the Standard Mark or for Certificate of Conformity

Full Name of Firm

--

Address						
Office					Tel	
					Fax	
Village/City	District	State	Country	Pin Code	E-mail	

Address						
Factory					Tel	
					Fax	
Village/City	District	State	Country	Pin Code	E-mail	

Name Designation		Name Designation	
Top Management details	1	Technical Management details	1
	2		2
	3		3
	4		4

	Name	Tel	E-mail
Contact Person			

Correspondence Address	Office	Scale of Unit	Large	Sector	Public
	Factory		MSME (Mention, whether Micro, Small or Medium)		Private

This application is made to obtain BIS licence for usage of Standard Mark or for certificate of conformity on:

Product

Specified requirements

Varieties
(Grade/Type/Class etc.)

Units of Production	Present Installed Capacity	Quantity	Value (₹)

Fee Details	Amount (₹)	Invoice No. with date

	Signature Name	
--	-------------------	--

Seal of Firm		Designation	
		Date of application	
		DIN no.(in case of director)	
PAN or Business licence no. of Firm		PAN no. (for other cases)	

Important: Application should be signed by CEO of the firm, or in his absence by authorized representative

Indicate availability of the following documents:

These documents are required to be submitted along with the application

Sr. No.	Document(s)	Yes/ No/ N.A.
1	Establishment of firm	
2	Address proof of the factory	
3	Valid MSME certificate, if applicable	
4	Authorized representative letter, in case application signed by person other than CEO of the firm	
5	Technical files	
6	Brand details	
7	Authorised Indian representative, if applicable	
8	Declarations, as applicable	

Explanation.- For the purpose of this form, the expression micro, small and medium enterprises shall have the meaning assigned to it in the Micro, Small Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), as amended from time to time.

Whether applying for system certification from Bureau: Yes or No

If yes, submit below mentioned additional documents

Sr. No.	Document(s)	Yes/No/N.A.
1	Mention specified requirements, as applicable	
2	Composition of top management and their designations, including management representative and supporting documents, as applicable	
3	Quality manual, as applicable	

Declaration:

The information given in this application form are true to the best of my/our knowledge and belief. I/We shall be responsible if any misleading information given in this form and the application shall be liable for rejection if wrong information has been given. If the licence or certificate of conformity is granted on the basis of information which is found to be incorrect later, the licence or certificate of conformity shall be liable for cancellation.

The information obtained by a certification officer or the Bureau from any statement made or information supplied or any evidence given or from inspection made shall be treated as confidential by the Bureau as per provisions of sub-section (5) of section 27 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

Note: For more details, you may please visit our website <https://www.bis.gov.in/>

Form - II

(see clause (b) of sub-paragraph (1) of paragraph 3)

Form for Nomination by Manufacturer

To

The Director General,
Bureau of Indian Standard,
9, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110 002.

Subject: Nomination of Authorised Indian Representative (as per clause 3.1 of the Agreement)

Dear Madam/Sir,

In terms of the requirement of clause 3 of the agreement, we, M/s, the manufacturer and signatory of the Agreement with Bureau of Indian Standards, do hereby nominate and appoint Mr./Ms., son / daughter of Mr....., resident of, INDIA, as our Authorised Indian representative in terms of clause 3 of the Agreement.

Mr./Ms., would be the person responsible for and on our behalf under the agreement for compliance of terms and conditions of the Agreement and also provisions of the Bureau of Indian Standards Act 2016, and rules and regulations framed there under. The form also contains his / her signatures in token of his / her acceptance, consent and confirmation of the terms and conditions of the Agreement. Please be advised that the nomination in favour of the authorised India representative shall continue for the purpose of this agreement till such time that some other person is appointed in his / her place in accordance with the terms of the Agreement.

Yours faithfully,

Signature of Authorised

Signature:

Indian Representative:

Name:

Name:

Designation:

Designation:

Contact details:

Contact details:

Mob. No.:

Mob. No.:

Email:

Email:

Date:

Seal:

Form – III

(see clause (a) of sub-paragraph (5) of paragraph 3)

Bureau of Indian Standards

Licence

Licence No.

By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 2016 (11 of 2016), the BUREAU hereby grants to

M/s

(hereinafter called 'the Licensee) this Licence for the product set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the scope set-out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the specified requirement(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. This licence carries obligations on part of the licensee as conditions which are given in Annexure attached herewith. This licence shall be valid for the Name, Factory Address and period as mentioned in the Schedule and may be renewed as prescribed in this Scheme.

SCHEDULE

(Licence No.)

Name

Factory Address

Validity from to

Product	Scope of licence
(1)	(2)

--	--

Signed, Sealed and Dated this day of month of Year

for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Name and Signature of Designated authority

Annexure

Conditions of the licence

- (1) The design of the Standard Mark shall be identical to the facsimile given in the licence.
- (2) Photographic enlargement or reduction of the Standard Mark may also be used, unless otherwise specified by the Bureau.
- (3) The licensee shall be responsible for the conformity of the goods, article, or system to the specified requirements in relation to which Standard Mark is used or applied.
- (4) The licensee shall not use the Standard Mark in relation to goods, articles or system which are non-conforming or outside the scope of the licence.
- (5) The Standard Mark shall not be used or applied in relation to any goods, article or system during suspension or after expiry of the licence.
- (6) The licensee shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which licence is granted, including labelling and marking requirements.
- (7) The licensee shall maintain records as specified by the Bureau from time to time.
- (8) The licensee shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises or any other site and such assistance shall include sending samples which have been marked and sealed by the certification officer to the designated office or laboratory within seven days from the date of inspection, audit or evaluation.
- (9) The licensee shall provide information relating to production and use or applying of Standard Mark as and when it is required by the Bureau.
- (10) If the licence is granted to use or apply Standard Mark on goods or articles, the licensee shall provide the list of distributors, dealers or retailers to whom goods or articles with Standard Mark is supplied.
- (11) If a complaint regarding quality of a product bearing Standard Mark is established, the licensee shall take suitable corrective actions so as to eliminate recurrence of such complaints in future.
- (12) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of licence by giving a notice of at least one month to the licensee.

Form – IV

(see clause (a) of sub-paragraph (5) of paragraph 3)

Bureau of Indian Standards

Certificate of Conformity

Certificate of Conformity No.

By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 2016 (11 of 2016), the BUREAU hereby grants to

M/s

(hereinafter called 'the holder of certificate of conformity) this certificate of conformity for the product set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the scope set-out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the specified requirement(s) referred to in the second column of the said Schedule.

2. This certificate of conformity carries obligations on part of the holder of certificate of conformity as conditions which are given in Annexure attached herewith. This certificate of conformity shall be valid for the Name, Factory Address as mentioned in the Schedule.

SCHEDULE

(Certificate of Conformity No.)

Name

Factory Address

Product	Scope of certificate of conformity
(1)	(2)

Signed, Sealed and Dated this day of month of Year

for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Name and Signature of Designated authority

ANNEXURE

Conditions of the certificate of conformity

- (1) The holder of certificate of conformity shall be responsible for the conformity of the goods, article or system to specified requirements in relation to which certificate of conformity is issued.
- (2) The holder of certificate of conformity shall not use the certificate of conformity in relation to goods, articles or system which are non-conforming or outside the scope of the certificate of conformity.
- (3) Certificate of conformity shall not be used in relation to any goods, article or system on cancellation of the certificate of conformity.
- (4) The holder of certificate of conformity shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which certificate of conformity is granted, including labelling and marking requirements.
- (5) The holder of certificate of conformity shall maintain records as specified by the Bureau from time to time.
- (6) The holder of certificate of conformity shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises or any other site and such assistance shall include sending samples which have been marked and sealed by the certification officer to the designated office or laboratory within seven days from the date of inspection, audit or evaluation.
- (7) If the certificate of conformity is granted in relation to goods or articles, the holder of certificate of conformity shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers to whom goods or articles under certificate of conformity is supplied.
- (8) The certificate of conformity shall not be transferred to any other manufacturer without prior approval of the Bureau.
- (9) If a complaint regarding quality of any goods, article or system covered under certificate of conformity is established, the holder of certificate of conformity shall take suitable corrective actions so as to eliminate recurrence of such complaints in future.
- (10) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of certificate of conformity by giving a notice of at least one month to the holder of certificate of conformity.

Form - V

(see clause (i) of sub-paragraph (5) of paragraph 3)

Agreement for the grant of Bureau of Indian Standards Licence (for use by the foreign manufacturer) (On Rs. 100.00/- non judicial stamp paper, to be attested by Notary Public)

The Agreement made at New Delhi on this day of..... month year, between Bureau of Indian Standards, a body corporate established under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 having its Head Office at Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 (hereinafter referred to as "the Bureau", which expression shall include its administrators, assigns, agents and or representatives) of the one part,

AND

M/s....., a foreign manufacturer having its office at and a Liaison/Branch Office/Office of its legally appointed Agent, namely, Mr/Ms..... located in India at

(hereinafter referred to as the ‘manufacturer’ which expression shall include its heirs, and or assigns) through Mr./Ms..... (its Managing Director/proprietor/partner or authorised signatory, as the case may be):

Whereas the Bureau has been established by the Bureau of Indian Standards Act, 2016 for harmonious development of activities of standardisation, conformity assessment and quality assurance of goods, articles, processes, systems and services and for matters connected therewith or incidental thereto;

And whereas in furtherance of its functions as provided in the said Act and in particular to undertake conformity assessment of foreign manufacturers, the Bureau is empowered to grant licence to use Standard Mark to foreign manufacturers;

And whereas under the said Act, the Bureau is authorised to grant licence for use of Standard Mark by the foreign manufacturer on its such products, which conform to the relevant Standards, and the grant of such licence is subject to the manufacturer complying with the norms laid down by the Bureau from time to time;

And whereas the foreign manufacturer has applied to the Bureau for grant of licence under the said Act and the Bureau after satisfying itself about the capability of the manufacturer and that it satisfies the requirement as laid down in the said Act, rules and regulations framed thereunder, and the terms and conditions of the licence, has decided to grant to the manufacturer licence to use Standard Mark on the terms and condition hereinafter mentioned.

Now the parties hereto agree as under:

1. Definitions:

In this Agreement, unless the context otherwise requires,

- 1.1 “Licence” means a licence granted under section 13 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 to use a specified Standard Mark in relation to any goods, article, process, system or service, which conforms to a standard.
- 1.2 “manufacturer” means a person responsible for designing and manufacturing any goods or article.
- 1.3 “recognised testing laboratory” means a testing laboratory recognised by the Bureau under sub-section (4) of section 13 of the said Act.
- 1.4 “product” means the products to be marked with Standard Mark of the Bureau.
- 1.5 “authorised representative” means the person, located in India, nominated and legally appointed by the manufacturer for the purpose of compliance with terms and conditions of this agreement and provisions of the said Act, rules and regulations framed thereunder and shall be deemed to be a person having ultimate control over the affairs of the manufacturer for the purposes of this agreement.

2. Fee

- 2.1 In consideration of the Bureau granting licence to the manufacturer and the manufacturer agreeing to abide by the provisions of this agreement and the various obligations and responsibilities and the Bureau performing its part under the said Act, the manufacturer shall pay to the Bureau necessary fee, as applicable from time to time, under the scheme such as advance minimum marking fee, renewal application fee, annual licence fee and marking fee calculated on actual production marked and any other fee as determined under the said regulation.
- 2.2 The manufacturer also agrees to bear all expenses, including cost to the Bureau of the days spent by its certification officer(s) in connection with the inspection, audit or evaluation at the manufacturing facility, testing laboratory or any other premises (from the time of departure from the place of posting till return thereto), and testing fee as the case may be, as decided by the Bureau.

3. Nomination

- 3.1 The manufacturer shall nominate and appoint a person as his authorised representative located in India after obtaining all necessary permission or sanctions, if required, under the Indian laws, setting out the terms and conditions of such appointment in writing, whose nomination shall be duly communicated to the Bureau in writing.

- 3.2 The authorised representative may either be in-charge or a senior officer of the Indian office or a legally appointed agent of the manufacturer in India.
- 3.3 The form containing nomination of the authorised representative by the manufacturer either at the time of execution of this agreement or at the time of fresh appointment during the continuation of this agreement, shall also contain the signature of such authorised representative who has been so appointed, in token of his consent and confirmation of the terms and conditions of this agreement and to signify his willingness for compliance of various provision of agreement under the said Act and rules and regulations framed there under.
- 3.4 The authorised representative appointed shall be deemed to be a person having ultimate control over the affairs of manufacturer in India for the purposes of this agreement and as such shall be responsible for all due compliance of terms and conditions of this agreement as also provisions of the said Act and the rules and regulations framed thereunder and shall continue to be so till another authorised representative is appointed in his place in accordance with the terms of the agreement.
- 3.5 The authorised representative shall remain bound to comply or adhere to the terms and conditions of this agreement, the provisions of the said Act and rules and regulations there under for and on behalf of manufacturer and thus shall be responsible and liable for all the acts and omissions and violations of the terms of the agreement or provisions of the Act and rules and regulations framed thereunder in his personal capacity.
- 3.6 The manufacturer shall ensure that his authorised representative does not remain un-represented at any time during the continuation of this agreement, on account of any reasons whatsoever and shall further ensure that the authorised representative already nominated is substituted or another authorised representative is freshly nominated in records of the Bureau well before the incumbent authorised representative is relieved of his obligations or liabilities under this agreement.
- 3.7 It is understood and agreed between the parties that this clause is an essence of this agreement and any violation of this clause shall authorise the Bureau to terminate or determine this agreement forthwith, whether formally determined or terminated or not, and take steps for cancellation of his licence.
- 3.8 It is agreed that such determination will be without prejudice to the other rights of the Bureau available to it under the said Act and rules and regulations framed thereunder or under this agreement.
- 3.9 The Bureau shall be entitled to terminate this agreement forthwith in the event it is revealed to or comes to the knowledge of the Bureau that the manufacturer has failed to comply with the terms of this clause except that in the event of death of authorised representative during the continuation of this agreement, the manufacturer shall be entitled to nominate a new authorised representative within twenty one days of the date of death of such authorised representative failing which provisions of clause 3.6 shall apply mutatis-mutandis.
- 3.10 It is agreed that in the event the authorised representative nominated by manufacturer severs his relationship or connection with the manufacturer and no new authorised representative is appointed in his place in terms of clause 3.6 hereinabove by manufacturer before earlier authorised representative being discharged or relieved well within the time, then notwithstanding determination or termination of this agreement, the earlier authorised representative shall remain liable and responsible for all the acts or omissions or violations of the terms and conditions of this agreement or provisions of the said Act and rules and regulations framed thereunder, committed till the time of his resignation or discharge.
- 3.11 The word “manufacturer” and “licensee” mentioned in the agreement shall mean and include “authorised representative” unless it is repugnant to the context.
4. Acceptance of terms and conditions
- 4.1 The licensee and his authorised agent agree to abide by all the terms and conditions of grant of licence as per the said Act, rules and regulations framed thereunder.
5. Rights and responsibilities of licensee
- 5.1 The licence to use Standard Mark granted to the manufacturer shall only be with respect to (mention product) as per (mention standard).

- 5.2 Rights and responsibilities of the licensee shall be as laid down in the said Act and rules and regulations framed thereunder and as conveyed by the Bureau from time to time, and the licensee shall abide by the same.
6. Period of validity of licence and renewal thereof
- 6.1 The licence to use Standard Mark of the Bureau shall be valid for the period as expressly stated therein, and shall automatically expire thereafter, unless specifically renewed in writing by the Bureau for any further period.
- 6.2 In case an application for renewal of the licence is submitted by the licensee to the Bureau (during the period of validity of the licence, or within such period from the date of expiry thereof as may be stipulated, the Bureau may consider renewal thereof for a further period as deemed proper by it.
- 6.3 During the pendency of consideration of such application for renewal, the licensee shall not make any claim regarding holding of such licence, and nor shall be entitled to mark the article or process upon expiry of the licence, till such time that the licence is renewed by the Bureau in writing for any further period.
7. Cancellation of licence
- 7.1 The licence may be cancelled by the Bureau in accordance with regulation 11 of the said regulation.
8. Suspension of licence
- 8.1 The licence may be suspended by the Bureau in accordance with regulation 10 of the said regulation.
9. Termination of agreement
- 9.1 The licensee violates or commits breach of any term or condition of this Agreement, whether by way of an act of commission or omission.
- 9.2 The licensee can also terminate the agreement by giving thirty days' notice in writing addressed to Head, Foreign manufacturer's certification department, Bureau of Indian Standards, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002, by registered post or by a notice delivered by hand.
- 9.3 On determination or termination of the agreement, the manufacturer shall forthwith cease to apply Standard Mark on any of the product manufactured or marketed by manufacturer and shall immediately furnish a statement to the Bureau indicating the details of the product so manufactured or marked prior to termination of Agreement or licence and shall comply with all directions that may be conveyed by the Bureau to it.
- 9.4 The manufacturer shall also clear all liabilities, financial or otherwise, towards the Bureau and shall return the original licence document along with all endorsements.
10. Indemnity
- 10.1 The manufacturer agrees and fully understands that under the conformity assessment scheme of the Bureau under which the licence is granted, the responsibility of conformance to the relevant standard with respect to products is solely on the manufacturer.
- 10.2 The manufacturer, therefore, agrees to indemnify the Bureau for all claims or damages arising out of its manufacturing of products and / or non-conformance to the relevant standards that may be made against the Bureau by any person or firm or company or association or consumer.
- 10.3 The manufacturer agrees and undertakes to execute an Indemnity Bond, in a language acceptable to the Bureau, indemnifying and holding the Bureau harmless in respect of any third party claims with regard to conformance of products manufactured by the manufacturer on which the Standard Mark is used, to the relevant standard.
- 10.4 The manufacturer further undertakes to furnish a Bank Guarantee, for US\$ 10,000.00 (US Dollars Ten Thousand only) or equivalent amount in Indian Rupees in favour of the Bureau, for due compliance of the provisions of the said Act and the rules and regulations framed thereunder, and the terms and conditions of the licence.

- 10.5 In case of any breach thereof, the Bureau shall be entitled to invoke the Bank Guarantee at its sole discretion, whose decision in that regard shall be final and binding on the manufacturer.
11. Agreement period
- 11.1 This agreement comes into force from the date of grant of licence and till the period for which it is granted or renewed and until withdrawn or terminated or cancelled by either party in accordance with the terms of this agreement.
12. Jurisdiction
- 12.1 If any dispute arises between the parties to the agreement including touching, interpretation or meaning of any of clauses the agreement or respective rights or obligations or liabilities of the parties to this agreement, courts at Delhi alone shall have the jurisdiction to entertain, try and resolve such claims or rights or disputes.
- 12.2 For the purposes of this agreement, the address of the manufacturer shall be its address given in India hereinabove, while that of the Bureau shall be as mentioned hereinabove.
- 12.3 All notices or letters addressed to and or delivered at the said address shall be deemed to have been issued or delivered to the respective parties.

In witness where of the parties hereto affix their signatures:

Bureau of Indian Standards

Manufacturer

In the presence of:

Witnesses:

- 1.
- 2.

Form - VI

(see clause (ii) of sub-paragraph (5) of paragraph 3)

Indemnity Bond

(On non-judicial Stamp Paper of Rs. 100.00 /- and attested by Notary Public)

This Indemnity Bond is executed on this day of, 20..... at New Delhi by M/s , a company or firm having its registered or corporate office at and a Liaison or Branch Office at (India) or legally appointed Agent in India, namely Mr./Ms., having his/her/its office at, represented through Mr./Ms., son/wife/daughter of Mr., its duly authorised representative (hereinafter referred to as 'the certified body'), in favour of Bureau of Indian Standards, having its headquarters at Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002 (hereinafter referred to as 'the Bureau') :

Whereas the certified body who is engaged in the business of manufacture of (name the product for which licence or certificate of conformity is being obtained) outside India, has approached the Bureau for grant of licence to Standard Mark or for certificate of conformity on the aforesaid product, as conforming to (standard);

And whereas as per the conformity assessment scheme of BIS under which the licence or certificate of conformity is granted to the certified body, the Bureau on being satisfied that the product manufactured by the certified body conforms to the particular standard, merely gives a licence to use the Standard Mark or certificate of conformity on such product as conforming to the standard;

And whereas the responsibility of conformance to the relevant standard with respect to the product in respect of which the licence or certificate of conformity is granted is the sole responsibility of the certified body, and in case of non-conformance, the licence or certificate of conformity is liable to be cancelled by the Bureau;

And whereas the certified body execute the present Indemnity Bond to hold the Bureau indemnified and harmless against any third party claims in respect of non-conformity of the product manufactured in relation to which Standard Mark or certificate of conformity is used;

Now therefore this Deed witnesses and it is agreed to and undertaken by the certified body to safeguard the interests of the Bureau and to keep them harmless against any claim or demand made or proceedings initiated by any one against the Bureau in respect of non-conformity of the product manufactured on which the Standard Mark or certificate of conformity is used, and indemnify the Bureau in that regard including damages, interest or cost thereof.

In witness whereof this Deed has been executed at New Delhi by the aforesaid certified body through its Authorised Representative, in the presence of witnesses.

Certified body:

Witnesses:

- 1.
- 2.

Form – VII

(see sub-paragraph (1) of paragraph 9)

Application for renewal of licence

Head Branch Office

Bureau of Indian Standards

Dear Sir/Madam,

I/we, carrying on business at (Full factory and office address) apply for renewal of licence no. granted by the Bureau under Bureau of Indian Standards Act, 2016, and the Rules and Regulations framed thereunder, as amended from time to time, for a further period from to, the terms and conditions being the same as stipulated in my/our previous application and the aforesaid licence, and/or such other conditions as the Bureau may stipulate.

2. The details of production of goods effected under this licence are as below:

(Attach separate sheet, if required)

(Period to be reporting from to)

- (i) Total production of the good(s)
- (ii) Production covered under the licence
 - a) Quantity.....
 - b) Value (₹).....
- (iii) Production not covered under licence, if any,

and the reasons for such non-coverage
- (iv) Names and addresses of all purchasers
- (v) Any other information

3. I/We are enclosing herewith Receipt No. dated for ₹ towards the following dues:

- i) Renewal application fee ₹
- ii) Marking fee ₹ per year rate
- iii) Previous dues/Other fee (as per BIS notice), if any ₹
- iv) Total amount ₹

Signature

Date

Name

Designation

Seal of Firm For and on behalf of

Declaration:

The information given in this application form are complete and true to the best of my/our knowledge and belief. I/We shall be responsible if any misleading information given in this form and the application shall be liable for rejection if wrong information has been given. If the licence is renewed on the basis of information which is found to be incorrect later, the licence shall be liable for cancellation.

The information obtained from any statement made or information supplied or any evidence given or from inspection made shall be treated as confidential by the Bureau as per provisions of sub-section (5) of section 27 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

Note: For more details, you may please visit our website <https://www.bis.gov.in/>

Form - VIII

(see sub-paragraph (2) of paragraph 9)

Attachment to licence no.

Licence no.	Name of the licensee with the factory address	Name of the product	Specified requirements

Endorsement no. Dated

Whereas, the licence was valid upto

Now, consequent upon renewal, the validity of the licence given in schedule of the original licence/endorsement no. has been extended from to

Other terms and conditions of the licence remain the same.

Signature of designated authority

(Name of designated authority)

Form - IX

(see sub-paragraph (1) of paragraph 10)

Application for change in scope of licence

Head Branch Office

Bureau of Indian Standards

Dear Sir/Madam,

I/we, carrying on business at
 (Full factory and office address) apply for
 change in scope as detailed below for licence no. granted by the Bureau under Bureau of Indian
 Standards, 2016 and the Rules and Regulations framed thereunder, as amended from time to time.

2. Change in scope desired:

Product	Specified requirements	Whether, extension or reduction	Technical file enclosed (Yes or No)

3. I/We have made the payment of ₹ vide receipt No. dated towards the
 above application.

Signature

Date

Name

Designation

Seal of Firm

For and on behalf of

Note : Attach separate sheet, if required

Declaration:

The information given in this application form are complete and true to the best of my/our knowledge and belief. I/We shall be responsible if any misleading information given in this form and the application shall be liable for rejection if wrong information has been given. If the scope of licence is changed on the basis of information which is found to be incorrect later, the licence shall be liable for cancellation.

The information obtained from any statement made or information supplied or any evidence given or from inspection made shall be treated as confidential by the Bureau as per provisions of sub-section (5) of section 27 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

Note: For more details, you may please visit our website <https://www.bis.gov.in/>

Form - X

(see sub-paragraph (4) of paragraph 10)

Attachment to licence no.

Licence no.	Name of the licensee with the factory address	Name of the product	Specified requirements

Endorsement no. Dated

The following change in scope of licence has (have) been approved by the Bureau with effect from

Consequent upon the above changes, the revised scope of licence in Column (2) of the table in Schedule of the licence for the product set out in Column (1) of the Schedule is amended as follows:

Other conditions of the licence remain the same.

Signature of designated authority
(Name of designated authority)"

SMITHA G. NAIR, Secy.,

[ADVT.-III/4/Exty./694/2021-22]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* F.No. BS/11/11/2018 dated the 4th June, 2018 and subsequently amended *vide* F.No. BS/11/11/2018 dated the 12th October, 2018, F.No. BS/11/11/2020 dated the 21st February, 2020, F.No. BS/11/11/2021 dated the 4th February, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 5th February, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated 4th June, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 5th August, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 27th October, 2021 and F.No. BS/11/11/2021 dated the 8th December, 2021.